THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स
National Headquarters राष्ट्रीय मुख्यालय
Phones: 91-11-23370724, 23378667, Fax: +91-11-23370126
E-mail: info@bsgindia.org, Website : www.bsgindia.org

President: Dr. Anil Kumar Jain, M.P.(Rajya Sabha) **अध्यक्ष:** डॉ. अनिल कुमार जैन, सांसद (राज्य सभा)
Chief National Commissioner: Dr. K.K. Khandelwal, IAS (Retd.) **मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त:** डॉ. के.के. खण्डेलवाल, भा.प्र.से.(से.नि.)

Ref. No. B.S.G./N.H.Q./ S-3-19 \ 820/2018-19 Dated: 18/06/2018

To
Smt. Kusum Manral
State Secretary
Uttar Pradesh State Bharat Scouts & Guides
State Headquarters
Gole Market, Mahanagar
Lucknow

SUB.:- State Bye-Laws of Uttar Pradesh State Bharat Scouts & Guides....reg.

REF.:- 1. Your Letter No. M. G.07/352/2018-19, dated 12/06/2018 vide email dated 12/06/2018.
2. Your Letter No. M. G.-07/1050/2017-18, dated 21/09/2017.

Dear Madam,

Please find enclosed herewith the State Bye-Laws of Uttar Pradesh State Bharat Scouts & Guides (23 Pages + 5 Annexures) duly approved by the Competent Authority, for your kind perusal.

Thanking you,

Yours in Scouting,

(Krishnaswamy R.)
Officiating Director

Encl.:- As above.

Copy submitted to the Hon'ble Chief National Commissioner, Bharat Scouts & Guides for his kind information.

C. c. to:- 1. The State Chief Commissioner, Uttar Pradesh State BS&G for kind information.
2. Administrative Officer, BS&G, NHQ.
3. Deputy Director of Scouts (Project), BS&G, NHQ.
4. Assistant Director, BS&G, Northern Region.
5. AS-I, BS&G, NHQ

DIR/DDSP/AS-I/18 June 2018

उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड, प्रादेशिक मुख्यालय, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

प्रादेशिक संस्था की उपनियमावली

भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय, 16 महात्मा गांधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली–110002 की राष्ट्रीय परिषद द्वारा नवम्बर 30, 2014 में संशोधित, स्वीकृत एवं प्रकाशित, उद्देश्य, नीति, नियम, संगठन (ए0पी0आर0ओ0–1, 2, 3) तथा विधान (रूल्स बुक) एवं स्कीम आफ ट्रेनिंग पुस्तकों में उल्लिखित नियम सामान्यतया उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड की प्रादेशिक संस्था में मान्य होंगे तथा लागू होंगे।

उपनियम

रूल्स बुक के नियम संख्या 37–70 तक के नियम प्रादेशिक संस्था उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड हेतु यथास्थान पर परिवर्तन के साथ लागू होंगे जिसमें भविष्य में प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया जा सकेगा, जो प्रादेशिक परिषद द्वारा स्वीकृत होने तथा राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् प्रादेशिक संस्था पर लागू होंगे।

उपनियम–1–संस्था का नाम एवं प्रादेशिक मुख्यालय–

प्रादेशिक संस्था का नाम उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड होगा, जिसका प्रादेशिक मुख्यालय, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ में होगा। प्रादेशिक परिषद के निर्णयानुसार प्रदेश के किसी अन्य स्थान पर प्रादेशिक मुख्यालय स्थापित किया जा सकेगा। इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उ0प्र0 राज्य होगा।

उपनियम–2

उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड प्रादेशिक संस्था, भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय लक्ष्मी मजूमदार भवन, 16 महात्मा गांधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली से सम्बद्ध होगी।

उपनियम–3

प्रादेशिक संस्था उद्देश्य, नीति, नियम एवं संगठन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए प्रादेशिक प्राथमिकताओं के साथ राष्ट्रीय संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करेगी।

उपनियम–4

प्रादेशिक संस्था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित एवं राष्ट्रीय परिषद द्वारा समय–समय पर अनुमोदित, वार्षिक सम्बद्धता शुल्क एवं व्यक्तिगत पंजीकरण शुल्क का भुगतान राष्ट्रीय संस्था को करेगी। प्रादेशिक संस्था, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उ0प्र0 राज्य होगा, में जिला संस्थाएं जो प्रादेशिक संस्था से सम्बद्ध होगी, प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित तथा प्रादेशिक परिषद द्वारा अनुमोदित सम्बद्धता शुल्क तथा व्यक्तिगत पंजीकरण शुल्क का वार्षिक भुगतान करेंगी। यदि जिला संस्थाएं निर्धारित शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बारह महीनों तक या प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा समय सीमा में दी गयी छूट जो कि तीन माह से अधिक नहीं होगी, नहीं करती है तो उनके कार्यालयी प्रतिनिधि या निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रादेशिक परिषद या प्रादेशिक कार्यकारिणी की किसी बैठक में प्रतिभाग करने या किसी निर्वाचन में प्रत्याशी होने या मत देने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि बकाया शुल्क जमा न कर दिया जाय। ऐसी स्थिति में प्रादेशिक संस्था द्वारा प्रशासक नियुक्त किया जायेगा।

जिला संस्था का क्षेत्राधिकार एक राजस्व जिले का क्षेत्र होगा।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

8/1/2017

उपनियम–5

प्रादेशिक संस्था से सम्बन्धित कोई भी वाद प्रादेशिक सचिव के नाम से लाया जायेगा और प्रादेशिक सचिव द्वारा किया जायेगा।

उपनियम–6 सदस्यता–

भारत का कोई भी नागरिक जो प्रादेशिक संस्था के क्षेत्राधिकार में रहता है तथा संस्था के उद्देश्य, नीति, नियम एवं संगठन के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करता है, प्रादेशिक संस्था का सदस्य बन सकता है। सम्बन्धित नागरिक एक समय में एक ही प्रादेशिक संस्था का सदस्य रहेगा। अपवाद स्वरूप कोई विदेशी नागरिक भी, जो प्रादेशिक संस्था के क्षेत्राधिकार में निवास करता है, प्रादेशिक मुख्यायुक्त के प्रस्ताव पर मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् प्रादेशिक संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति स्काउट/गाइड की निम्न प्रतिज्ञा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाएगा:–

मैं..................मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति–
ईश्वर और भारत के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा।
दूसरों की सहायता करूंगा और स्काउट/गाइड नियम का पालन करूंगा।
(इच्छानुसार **ईश्वर** शब्द के स्थान पर **धर्म** शब्द का प्रयोग किया जा सकता है)

उपनियम–7

प्रादेशिक संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे–

(अ) सामान्य सदस्य–

1–**संस्था के लाभार्थी**– जैसे बनी, कब्स, बुलबुल, स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर, समुद्री स्काउट/गाइड, हवाई स्काउट/गाइड, ग्रामीण स्काउट/गाइड, वेंचर स्काउट/गाइड, एक्सटेंशन स्काउट/गाइड जो कि पंजीकृत दलों के सदस्य हों।

2–**वयस्क लीडर**– जैसे स्काउटर, गाइडर, कमिश्नर जिनके पास वैध अधिकार पत्र हो तथा ट्रेनर जिनके पास मानद प्राधिकार (ऑनरेबुल चार्ज) हो।

(ब) आजीवन सदस्य–

इच्छुक व्यक्ति प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित रूपये 1,500 (एक हजार पाँच सौ मात्र) शुल्क **(समय–समय पर परिवर्तनशील)** के साथ एक प्रार्थना पत्र, जिसमें नाम, पता, आयु, व्यवसाय शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं, संस्था में कार्य करने का प्रमाण एवं उद्घोषणा, जिसमें संस्था के नीति, नियम, उद्देश्य एवं लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता होगी, निर्धारित प्रपत्र पर प्रादेशिक सचिव को प्रेषित करेंगे । प्रादेशिक सचिव उस प्रार्थना पत्र को प्रादेशिक कार्यकारिणी की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे, जिसे विचारोपरान्त स्वीकार किया जायेगा। प्रार्थना–पत्र, प्रादेशिक परिषद् के संबंधित जनपद के दो सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होगा। आजीवन का तात्पर्य **"सदस्य के जीवित रहने तक"** है । आजीवन सदस्यों की श्रेणी में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त विशेष तौर पर अधिवक्ता, चिकित्सक, व्यवसायी एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित व्यक्ति भी कम से कम दस की संख्या में अनिवार्य रूप से जोड़े जायेंगे।

(स) साधारण सदस्य–

इच्छुक व्यक्ति प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित शुल्क प्रथम बार रू 500 (रूपये पाँच सौ मात्र) (समय–समय पर परिवर्तनशील) के साथ एक प्रार्थना पत्र जिसमें नाम, पता, आयु, व्यवसाय, शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं, संस्था में कार्य करने का सेवा काल प्रमाण एवं उद्घोषणा, जिसमें संस्था के नीति, नियम, उद्देश्य एवं लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता होगी, निर्धारित प्रपत्र पर प्रादेशिक सचिव को प्रस्तुत करेंगे, जो कि संस्था के (नियम 7(ब) के अनुसार) दो सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होगा। प्रादेशिक सचिव इसे प्रादेशिक कार्यकारिणी की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे जिसे विचारोपरान्त स्वीकार किया जायेगा। साधारण सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् संबंधित को प्रत्येक वर्ष निर्धारित नवीनीकरण शुल्क प्रादेशिक मुख्यालय में जमा करना होगा। नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमा न होने पर उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। इसमें वह वयस्क लीडर भी आवेदक हो सकते हैं जिनके ऊपर संस्था की कोई धनराशि अवशेष नहीं है। साधारण सदस्यों की श्रेणी में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त विशेष तौर पर अधिवक्ता, चिकित्सक, व्यवसायी एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित व्यक्ति भी कम से कम दस की संख्या में अनिवार्य रूप से जोड़े जायेंगे।

(द) जिला संस्था एवं मण्डलीय संगठन के सदस्यगण।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

(य) संस्थागत सदस्य–

ऐसी संस्थाएं जो प्रादेशिक संस्था की सदस्य बनने को इच्छुक हैं तथा जिनके जुड़ने से संस्था को संस्थागत लाभ मिल सकता है एवं जो संस्था के नीति, नियम, उद्देश्य एवं लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करती है, प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शुल्क जो रू 1,500 (रूपये एक हजार पाँच सौ मात्र) होगा (समय–समय पर परिवर्तनशील) के साथ प्रार्थना–पत्र प्रादेशिक सचिव को प्रेषित करेंगी । प्रार्थना पत्र जिसमें नाम, पता, आयु, व्यवसाय, शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं, संस्था में कार्य करने का सेवा काल प्रमाण एवं उद्घोषणा, जिसमें संस्था के नीति, नियम, उद्देश्य एवं लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता होगी, निर्धारित प्रपत्र पर प्रादेशिक सचिव को प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र, संस्था के (नियम 7(ब) के अनुसार) दो सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होगा। संस्था से सम्बन्धित विवरण, जो निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट) पर होगा, प्रादेशिक कार्यकारिणी की आगामी बैठक में प्रादेशिक सचिव [illegible] शैक्षिक संस्थाएं, निगम, परिषद, पंजीकृत सामाजिक संस्थाएं, सार्वजनिक संस्थाएं जैसे– एच0ए0एल0, एस0ए0आई0एल0, राज्य या केन्द्र सरकार के अधीनस्थ कार्यरत सरकारी या अर्धसरकारी संगठन, उद्योग प्रतिष्ठान आदि सम्मिलित होंगे।

(र) विशिष्ट सदस्य–

विशिष्ट सदस्यता के अन्तर्गत वह व्यक्ति आयेंगे जिनके नाम प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा आन्दोलन के प्रति उनकी प्रशंसनीय एवं विशिष्ट सेवाओं या उनके सामाजिक पद स्तर के आधार पर प्रस्तावित किये जायेंगे।

नोटः–उपनियम–7(अ)(1), (द)(य) तथा (र) में उल्लिखित श्रेणी के सदस्य प्रदेश संस्था के किसी स्तर पर चुनाव में प्रत्याशी होने तथा मताधिकार के लिय अर्ह नहीं होंगे।

उपनियम–8 सदस्यता की समाप्ति–

1. यदि कोई सदस्य आपराधिक गतिविधियों, जिसमे चरित्रहीनता (दुष्टता) तथा संस्था के कोष की वित्तीय अनियमितता सम्मलित होगी, में लिप्त पाया जायेगा तो दोष सिद्ध होने पर।
2. दोषी मानसिकता के साथ भारत स्काउट और गाइड के अतिरिक्त समानान्तर चल रहे अन्य किसी संगठन, जो कि स्काउटिंग और गाइडिंग के नाम पर कार्य कर रहा हो, की सदस्यता लेने **एवं उसमे** कार्य करने पर ।
3. निर्धारित सदस्यता शुल्क न देने पर।
4. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
5. त्याग पत्र देने पर।

उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

सदस्यता समाप्ति का निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित को नैसर्गिक न्याय के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

उपनियम–9

(1) प्रादेशिक संस्था में मुख्य संरक्षक का एक पद होगा जिस पर उ0प्र0 राज्य के आदरणीय श्री राज्यपाल पदेन पदस्थापित होंगे।
(2) प्रादेशिक संस्था में एक उप मुख्य संरक्षक का पद होगा जिस पर उ0प्र0 के माननीय मुख्यमंत्री पदेन पदस्थापित होंगे।
(3) प्रादेशिक संस्था में संरक्षक के पद होंगे जिन पर उ0प्र0 के सभी शिक्षा मंत्रीगण (कैबिनेट स्तर) पदेन पदस्थापित होंगे।
(4) प्रादेशिक संस्था में उप संरक्षक के पद होंगे जिन पर उ0प्र0 शासन के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के समस्त प्रमुख सचिव पदेन पदस्थापित होंगे।
(5) प्रादेशिक संस्था में सहसंरक्षक का पद होगा जिन पर प्राथमिक, माध्यमिक, एस0सी0ई0आर0टी0 एवं उच्च शिक्षा के समस्त शिक्षा निदेशकगण पदेन पदस्थापित होंगे।

इस आशय का अनुरोध–पत्र प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत कर उनसे औपचारिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

उपनियम—10 प्रादेशिक परिषदः—

प्रादेशिक परिषद निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी—

1— अध्यक्ष
2— उपाध्यक्ष – एक या अधिक परन्तु छः से अधिक नहीं।
3— प्रादेशिक मुख्यायुक्त
4— भूतपूर्व प्रादेशिक मुख्यायुक्त (जो तत्काल पदमुक्त हुए हो)
5— प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट)
6— प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)
7— प्रादेशिक कोषाध्यक्ष
8— प्रादेशिक सचिव
9— सयुक्त प्रादेशिक सचिव
10—सहायक प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट)
11—सहायक प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)
12—प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट)
13—प्रादेशिक संगठन आयुक्त (गाइड)
14—प्रादेशिक मुख्यालय आयुक्त (स्काउट/गाइड)
15—प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)
16—प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)
17—समस्त जिला मुख्यायुक्त उ0प्र0।
18—समस्त जिला आयुक्त (स्काउट) उ0प्र0।
19—समस्त जिला आयुक्त (गाइड) उ0प्र0।
20—समस्त लीडर ट्रेनर (स्काउट) उ0प्र0—जिनके ऑनरेबुल चार्ज वैध हो।
21—समस्त लीडर ट्रेनर (गाइड) उ0प्र0—जिनके ऑनरेबुल चार्ज वैध हो।
22—एक या अधिक परन्तु सात से अधिक नहीं, प्रादेशिक परिषद द्वारा आमेलित सदस्य जिसमें तीन महिला सदस्य होंगी।
23—राष्ट्रीय मुख्यालय के उत्तरी परिक्षेत्र के सहायक निदेशक पदेन।
24—जिला या संस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि जो प्रत्येक **पांच हजार** स्काउट एवं **तीन हजार** गाइड पर एक की दर से, जो कि ठीक एक वर्ष पहले की आगणित जनसंख्या पर आधारित होगा, परन्तु एक जिला संस्था से कुल छः से ज्यादा नहीं होंगे जिसमें दो से कम ग्रुप स्काउटर नहीं होंगे जिसमें एक ग्रुप स्काउटर स्वतंत्र दल से भी हो सकेंगे दो से कम ग्रुप गाइडर नहीं होंगी, जिसमें सामान्यतया एक ग्रुप गाइडर स्वतंत्र दल से भी हो सकेंगी। यदि कोई जिला संस्था निर्धारित आगणित जनसंख्या में नहीं भी है तो भी एक स्काउटर व एक गाइडर प्रतिनिधि प्रादेशिक परिषद के सदस्य होंगे

व्याख्याः— स्काउट शब्द का तात्पर्य है—कब, स्काउट तथा रोवर और गाइड शब्द का तात्पर्य है—बुलबुल, गाइड तथा रेंजर।

25—प्रत्येक **दस** सदस्य पर एक की दर से निर्वाचित एक या अधिक आजीवन सदस्य प्रतिनिधि परन्तु **दस** से ज्यादा नहीं (उसी कोटि के सदस्यों में से) जिसमें दो महिला सदस्य होंगी।
26—प्रत्येक **बीस** सदस्य पर एक की दर से निर्वाचित एक या अधिक साधारण अभिदानी सदस्य प्रतिनिधि परन्तु **दस** से ज्यादा नहीं (उसी कोटि के सदस्यों में से) जिसमें कम से कम दो महिला सदस्य होंगी।
27—एक या अधिक परन्तु तीन से अधिक नहीं संस्थागत सदस्य प्रतिनिधि (जिनका निर्वाचन उसी कोटि के सदस्यों में से होगा)।

परन्तु प्रादेशिक परिषद के कार्य करने की शक्तियाँ किसी भी प्रकार की सदस्यता न रहने पर भी बनी रहेगी। यह भी शर्त होगी कि भविष्य में यदि कोई प्रादेशिक परिषद का पदेन सदस्य है और वह यदि मूल पद पर नहीं रहता है तो वह प्रादेशिक परिषद का भी सदस्य नहीं रहेगा।

28—विशिष्ट सदस्यता श्रेणी के अधिकतम तीन सदस्य, जिन्हें उनकी आन्दोलन के प्रति उल्लेखनीय सेवाओं या सामाजिक पद स्थिति के आधार पर प्रादेशिक परिषद द्वारा स्वीकार किया गया हो।
29—30 वर्ष की उम्र से कम दो युवा सदस्य, जिसमें से एक महिला होगी, का आमेलन संस्था के अध्यक्ष द्वारा संस्था के सदस्यों में से, प्रादेशिक मुख्यायुक्त की संस्तुति पर किया जायेगा।

उपनियम—11—प्रादेशिक परिषद की अवधिः—

प्रादेशिक परिषद की अवधि **पाँच** वर्ष होगी, जिसकी गणना उस बैठक की तिथि से की जायेगी जिसमें वर्तमान परिषद का गठन हुआ हो। विशेष परिस्थिति में, जिसका उल्लेख विशषतः लिखित होगा, प्रादेशिक परिषद का कार्यकाल मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की संस्तुति पर (जो विशेषतः लिखित रूप में न्यायोचित सिद्ध हो)

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

प्रादेशिक कार्यकारिणी की विशेष बैठक में सामान्य बहुमत, जिसमें प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के **पचास** सदस्य उपस्थित हों, अधिकतम छः माह तक विस्तारित कर सकते हैं। यदि कोई प्रादेशिक संस्था प्रादेशिक परिषद की बैठक सामान्यतया निर्धारित कार्यकाल में या विस्तारित कार्यकाल में नही कर पाती है तो प्रादेशिक परिषद, सामान्य कालावधि या विस्तारित अवधि के पश्चात् भंग मानी जायेगी और मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त प्रादेशिक संस्था के कार्यों के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर सकेंगे। इस अवधि में सभी निर्गत वारण्ट शून्य माने जायेंगे। मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा नियुक्त प्रशासक प्रादेशिक सचिव या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति के सहयोग से **नब्बे** दिन के अन्दर प्रादेशिक परिषद की बैठक बुलायेंगे और चुनाव करायेंगे।

नोटः– जहां पर "वह" (पुलिंग) उपयोग किया गया है वहां आवश्यकतानुसार (स्त्रीलिंग) प्रयोग किया जायेगा।

उपनियम–12–**प्रादेशिक परिषद के कार्य एवं शक्तियाँः–**

1–प्रादेशिक संस्था में प्रादेशिक परिषद प्रत्येक मामलों के लिए रूल्स बुक, ए0पी0आर0ओ0 एवं उप नियमों में विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त सर्वोच्च सदन होगी तथा अन्य सभी विषयों में जिनका स्पष्ट उल्लेख भले ही न हो, परिषद का निर्णय सर्वोपरि होगा।

2–प्रादेशिक परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ निम्न प्रकार की होगी–

(क) प्रादेशिक संस्था की उप नियमावली में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रादेशिक मुख्यायुक्त, विभिन्न कोटि के सदस्य प्रतिनिधियों, प्रादेशिक कार्यकारिणी के सदस्यों तथा वित्त समिति के सदस्यों का निर्धारित समय पर चुनाव करना।
(ख) प्रादेशिक संस्था के वार्षिक बजट को विचारार्थ स्वीकार करना तथा स्वीकृति देना।
(ग) वार्षिक आख्या, सम्प्रेक्षित लेखा विवरण का तुलनापत्र बनाना एवं स्वीकृति देना।
(घ) प्रादेशिक संस्था की उप नियमावली में मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के स्वीकृतार्थ सम्मिलन, निरसन, परिवर्तन तथा परिवर्धन करना।
(ड़) प्रादेशिक प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रादेशिक स्तर पर आरम्भिक कार्यवाही, संवर्धन तथा गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
(च) प्रदेश में चल–अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण करना, नियंत्रण करना, व्यवस्थित करना, गिरवी या बन्धक रखना तथा विक्रय करना।
(छ) आन्दोलन के हित में सभी प्रकार के धन प्राप्त करना, उधार देना (शर्त सहित या शर्त रहित), कोष परिवर्धन तथा धनराशि का निवेश करना।
(ज) लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना तथा उनका मानदेय निर्धारित करना।
(झ) संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप अन्य सभी प्रकार के आवश्यक कार्य करना।

उपनियम–13–**प्रादेशिक परिषद की बैठकें–**

साधारण बैठक

(क) प्रादेशिक परिषद साधारणतया वर्ष में एक बार **30** सितम्बर के पूर्व अध्यक्ष की सहमति लेकर प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा निश्चित तिथि को होगी। यह साधारण वार्षिक सभा मानी जायेगी। यदि किसी वैध कारण से निर्धारित तिथि को निर्धारित बैठक नहीं हो सकी तो बैठक न हो पाने के समस्त कारणों, जिसके फलतः बैठक निर्धारित समय एवं तिथि पर नही हो पाई, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त को सूचित किया जायेगा।

(ख) ऐसी बैठक की सूचना, स्थान, तिथि तथा समय के विवरण के साथ बैठक की तिथि से कम से कम चालीस दिन पूर्व भेज दी जायेगी तथा बैठक का निर्धारित कार्य विवरण (एजेन्डा) बैठक की तिथि से न्यूनतम तीस दिन पहले भेजा जायेगा। यह सूचना ई–मेल से भेजी जायेगी और उस पर ई–मेल का वही पता लिखा जायेगा जो कि सदस्यों ने प्रादेशिक संस्था के रजिस्टर पर लिखा है या जिसकी सूचना प्रादेशिक सचिव को लिखित रूप से दी गई है। हार्ड कॉपी समस्त सदस्यों को पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी. पंजीकृत डाक एवं ई–मेल से सूचना भेजने का अर्थ होगा कि सूचना सभी सदस्यों को प्राप्त हो चुकी है। **इस आशय का ई–मेल प्रिन्ट सुरक्षित रखा जायेगा।**

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

(ग) प्रादेशिक परिषद के विचारार्थ भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव एव विषय विधिवत एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित एवं एक सदस्य द्वारा अनुमोदित कर बैठक की तिथि से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रादेशिक सचिव के पास पहुंच जाने चाहिए। विचारार्थ स्वीकार किये गये प्रस्तावों एवं विषयों को बैठक के चौदह दिन पूर्व सदस्यों के पास भेजी जानी चाहिए।

(घ) प्रादेशिक परिषद की साधारण बैठक हेतु न्यूनतम गणपूर्ति समस्त सदस्य संख्या की 1/10 या 20 सदस्य जो कम हो, होगी।

(ड़) प्रादेशिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रश्न जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट संख्या 21 सन् 1860 के द्वारा निर्दिष्ट विषयों से भिन्न होंगे, परिषद के सामान्य बहुमत से निर्णित किये जायेंगे। मत बराबरी की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष को एक अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(च) प्रादेशिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्षों में से आयु में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में परिषद के उपस्थित सदस्यों में से जिनको परिषद बैठक के अवसर पर निर्वाचित करेंगी, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

उपनियम–14 साधारण वार्षिक बैठक में सम्पन्न किये जाने वाले कार्य–

साधारण वार्षिक बैठक में निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे–

(क) गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।
(ख) निर्धारित कार्य विवरण (एजेन्डा) पर विचार।
(ग) वार्षिक कार्य आख्या पर विचार एवं स्वीकृति।
(घ) वार्षिक सम्प्रेक्षित लेखा विवरण एवं वार्षिक तुलना–पत्र पर विचार एवं स्वीकृति।
(ड़) बजट को विचारार्थ स्वीकार करना एवं स्वीकृति देना।
(च) निर्धारित कार्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विचार जो प्रादेशिक सचिव ने सदस्यों को विधिवत भेजे हों।
(छ) प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्मिलित विषय जो निर्धारित कार्य विवरण में सम्मिलित थे, पर विचार।
(ज) अध्यक्ष की अनुमति से वह विषय जो निर्धारित कार्य विवरण में सम्मिलित नहीं थे परन्तु बैठक के अवसर पर प्रस्तुत है, पर विचार।
(झ) प्रादेशिक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का निर्वाचन, जब निर्धारित हो।
(ञ) लेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं उनका दिया जाने वाला लेखा परीक्षण शुल्क पर विचार, (जब निर्धारित हो।)

उपनियम–15–स्थगित साधारण सभा की बैठक–

यदि निर्धारित बैठक में निर्धारित समय के आधे घन्टे तक बैठक की न्यूनतम गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक स्थगित हो जायेगी तथा दूसरे दिन उसी समय एवं स्थान पर जैसे कि पहले था, स्थगित बैठक सम्पन्न होगी जिसमें गणपूर्ति पर विचार किये बिना पूर्व निर्धारित कार्य विवरण सूची पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। इस अवसर पर कोई अन्य विषय नहीं लाया जायेगा।

उपनियम–16–विशेष बैठक:–

(क) विशेष कार्य के लिए एक विशेष बैठक प्रादेशिक मुख्यायुक्त या प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से बुलाई जा सकेगी।

(ख) प्रादेशिक परिषद के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध करने पर जिसमें विशिष्ट कार्य सूची का उल्लेख हो, परिषद की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी।

(ग) विशेष बैठक की सूचना जिसमें तिथि, समय व स्थान का विवरण तथा निर्धारित कार्य विवरण होगा, कम से कम तीस दिन पहले भेजा जायेगा।

(घ) विशेष बैठक की गणपूर्ति परिषद के 1/5 सदस्यों या 40 सदस्यों जो कम से कम हो, होगी। इस स्थिति में उपनियम–13(घ) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

उपनियम–17–प्रादेशिक संस्था के पदाधिकारी:–

1– अध्यक्ष
2– उपाध्यक्ष
3– प्रादेशिक मुख्यायुक्त
4– प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट)
5– प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

6— प्रादेशिक कोषाध्यक्ष
7— प्रादेशिक सचिव
8— संयुक्त प्रादेशिक सचिव एवं सहायक प्रादेशिक सचिव (यदि कोई हो)
9— सहायक प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट) या मण्डलीय आयुक्त (स्काउट)
10— सहायक प्रादेशिक आयुक्त (गाइड) या मण्डलीय आयुक्त (गाइड)
11— समस्त प्रादेशिक मुख्यालय आयुक्त (स्काउट एवं गाइड)
12— प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट)
13— प्रादेशिक संगठन आयुक्त (गाइड)
14— प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)
15— प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)
16— सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)
17— सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)
18— संयुक्त और सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट)
19— संयुक्त और सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (गाइड)
20— समस्त लीडर ट्रेनर (स्काउट एवं गाइड)
21— समस्त सहायक लीडर ट्रेनर (स्काउट एवं गाइड)
22— प्रादेशिक क्वार्टर मास्टर — विचारार्थ

उपनियम—18—अध्यक्ष :—

(1) ऐसे भारतीय नागरिक जो प्रदेश के निवासी होंगे तथा जो संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में अपना योगदान करते हों, प्रादेशिक परिषद द्वारा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जायेंगे।
(2) अध्यक्ष **पांच** वर्ष के लिए पद धारण करेंगे या प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल तक जैसी स्थिति हो। इस आधार पर अध्यक्ष अपने पश्चात्वर्ती के पद धारण करने तक अपने पद पर रहेंगे।
(3) अध्यक्ष प्रादेशिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
(4) किसी कारणवश अध्यक्ष के न रहने पर आयु में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि अवशेष अवधि के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय।

उपनियम—19— प्रादेशिक उपाध्यक्षः—

1— प्रादेशिक संस्था में एक या एक से अधिक परन्तु अधिकतम **छः** प्रादेशिक उपाध्यक्ष होंगे इसमें तीन महिला अनिवार्य होंगी। महिला प्रत्याशी की अनुपस्थिति में यह पद पुरूष से भरा जायेगा। यही विपरीत स्थिति में भी होगा।

2— प्रादेशिक उपाध्यक्ष, प्रादेशिक संस्था के सदस्यों में से प्रादेशिक परिषद द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे।

3— प्रादेशिक उपाध्यक्ष का कार्यकाल, **पांच** वर्षों का या परिषद के कार्यकाल तक, जैसी स्थिति होगी होगा।

4— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयु में वरिष्ठ प्रादेशिक उपाध्यक्ष प्रादेशिक परिषद की साधारण वार्षिक बैठक और विशेष बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे।

उपनियम—20—प्रादेशिक मुख्यायुक्तः—

1— प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक संस्था के सदस्यों में से प्रादेशिक परिषद द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे।
2— प्रादेशिक मुख्यायुक्त **पांच** वर्षों तक या प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल तक जैसी स्थिति हो, पद धारण करेंगे। यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक कि पश्चात्वर्ती पद धारक का निर्वाचन न हो जाय।
3— किसी कारणवश प्रादेशिक मुख्यायुक्त का पद रिक्त होने पर प्रादेशिक मुख्यायुक्त के कार्यों का निष्पादन आयु में वरिष्ठ प्रादेशिक आयुक्त, यदि एक प्रादेशिक आयुक्त है तो वह, या यदि कोई प्रादेशिक आयुक्त न हो तो प्रादेशिक संस्था के अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति नये प्रादेशिक मुख्यायुक्त के निर्वाचित होने तक प्रादेशिक मुख्यायुक्त के रूप में कार्य करेंगे। प्रादेशिक मुख्यायुक्त का चुनाव व्यवहारिक रूप से यथाशीघ्र किया जायेगा। **इस परिस्थिति में निर्णय का अधिकार प्रादेशिक संस्था के अध्यक्ष में निहित होगा।**
4— प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा प्रदेश संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

उपनियम–21 प्रादेशिक मुख्यायुक्त के कार्यः–

(क) प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति एवं अन्य समितियों के जिसके वह सभापति होंगे, की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(ख) वह प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट एवं गाइड) की नियुक्ति करेंगे।

(ग) (1) वह प्रादेशिक मुख्यालय आयुक्तों की नियुक्ति प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति एवं सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त के परामर्श से करेंगे जो विशिष्ट कार्यों के लिए होंगे, जिनकी संख्या स्काउट विभाग एवं गाइड विभाग दोनो में चार–चार से अधिक नही होगी।

(2) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समितियां बनायेंगे और उनके सदस्य एवं सभापति नामित करेंगे।

(घ) सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त के परामर्श से सहायक प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे।

(ङ) वह सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त के परामर्श से प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट), प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड), सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट), सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड), जिला मुख्यायुक्त एवं जिला आयुक्त (स्काउट एवं गाइड) की नियुक्ति **तत्समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेंगे।**

(च) वह जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट), जिला प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड), जिला संगठन आयुक्त (स्काउट,) जिला संगठन आयुक्त (गाइड), सहायक जिला आयुक्त (स्काउट), सहायक जिला आयुक्त (गाइड) की नियुक्ति उनसे सम्बन्धित प्राधिकारी के परामर्श एवं उनके लिए निर्धारित नियमों के अंतर्गत करेंगे।

(छ) वह प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के परामर्श से प्रादेशिक सचिव, संयुक्त प्रादेशिक सचिव एवं सहायक प्रादेशिक सचिव, जैसी स्थिति हो, नियुक्त करेंगे।

(ज) वह प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट), प्रादेशिक संगठन आयुक्त (गाइड), संयुक्त एवं सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) की नियुक्ति, सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी के परामर्श से सेवा नियमावली के परिप्रेक्ष्य में करेंगे तथा ऐसे अन्य अधिकारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करेंगे।

(झ) राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वह कार्यो को संगठित, क्रियान्वित या क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना का निर्धारण करेंगे। उद्देश्य, लक्ष्य, नियम एवं उपनियमों के क्रियान्वयन एवं उसकी सुरक्षा करेंगे।

(ञ) वह प्रादेशिक संस्था की चल या अचल सम्पत्तियों तथा वित्तीय प्रशासन का प्रबन्ध करेंगे या प्रशासन प्रबन्ध हेतु व्यवस्था करेंगे।

(ट) वह निर्धारित बजट के अनुसार व्यय की अनुमति देंगे। विशेष स्थिति में प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत बजट से ज्यादा या भविष्य में होने वाली प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति / प्रादेशिक परिषद की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में दे सकेंगे।

(ठ) वह अपने सम्मुख प्रस्तुत प्रत्येक मामलों में जाँच करके उन पर निर्णय देंगे तथा उसकी आख्या प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के सम्मुख उसी रूप में रखेंगे।

(ड) वह अधिकृत स्काउट/गाइड साहित्य का प्रकाशन या प्रकाशन हेतु व्यवस्था करेंगे।

(ढ) वह प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के परामर्श एवं निर्धारित नियमों के अन्तर्गत अलंकरणों हेतु संस्तुति करेंगे।

(ण) वह एक या दोनो प्रादेशिक आयुक्तों को अपने कार्य अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।

(त) वह प्रादेशिक आयुक्त स्काउट/गाइड के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य आयुक्तों को अधिकार पत्र निर्गत करेंगे तथा ऐसे सभी अधिकारियों को निर्गत अधिकार पत्र वापस ले सकेंगे जिसे उन्होने प्रदेश या जिला स्तर पर नियुक्त किया हो।

(थ) किसी आयुक्त का पद रिक्त रहने पर या प्रादेशिक आयुक्त(स्काउट) या (गाइड) का पद रिक्त रहने पर वह कार्य निर्वहन स्वयं करेंगे या प्रबन्ध करेंगे।

(द) वह जिला या मण्डलीय संस्थाओं को पंजीकृत करने एवं उनका सम्बद्धता प्रमाण–पत्र जारी करने की अनुमति देंगे,स्काउटर, गाइडर के अधिकार पत्र जारी करेंगे तथा उनका नवीनीकरण करेंगे एवं उनको वापस ले सकेंगे।

(ध) प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की बैठक में किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रतिभाग करने या सम्बोधित करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति से निमंत्रित कर सकेंगे।

(न) सम्बन्धित प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्त के परामर्श से अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों का नाम लीडर ट्रेनर के रूप में नियुक्त करने हेतु मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त को अनुमोदित करेंगे।

(प) जैसा कि निर्धारित है, यदि प्रादेशिक मुख्यायुक्त के विचार में कोई गम्भीर विवाद या उद्देश्यों एवं लक्ष्यों, उपनियमों तथा उद्देश्य, नीति, नियम एवं संगठन में कोई गम्भीर व्यवधान किसी मण्डलीय संस्था या जिला संस्था में उत्पन्न हो गया हो या किसी मण्डलीय या जिला संस्था में गम्भीर कुप्रशासन या कार्य में स्थगन की

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

गति हो तो प्रादेशिक मुख्यायुक्त मामले के जाँच के लिए, जैसा आवश्यक समझें, आयोग गठित करेंगे तथा इस प्रकार से प्राप्त आख्या तथा मण्डलीय या जिला संस्था जैसी स्थिति हो, के आयुक्त द्वारा विचारार्थ प्राप्त प्रतिवेदन के बाद भी यदि वह विचार रखते हैं कि ऐसा गम्भीर विवाद या उद्देश्य एवं लक्ष्यों तथा उद्देश्य, नीति, नियम एवं संगठन के प्रकरण पर गम्भीर उल्लंघन का कृत्य या कुप्रशासन या कार्य में स्थगन की स्थिति विद्यमान है, वह समस्त कारणों को लिखित रूप से रखते हुए मण्डलीय या जिला संस्था को भंग कर सकेंगे तथा समस्त अधिकार पत्रों को निरस्त कर सकेंगे या मण्डलीय, जिला संस्था को दुबारा गठित करने एवं उपयुक्त व्यक्तियों को अधिकार पत्र निर्गत करेंगे और इस प्रकार कृत कार्यवाही की आख्या इस नियम के अन्तर्गत आगामी होने वाली प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति, प्रादेशिक परिषद में देंगे।

(फ) जिला संस्थाओं की चल एवं अचल सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए जिला मुख्यायुक्त की संस्तुति पर छह ट्रस्टियों की नियुक्ति करना, जिसमे प्रादेशिक सचिव, सम्बंधित जनपद के जिला कमिश्नर स्काउट व जिला कमिश्नर गाइड ट्रस्ट के पदेन सदस्य होंगे और अन्य तीन ट्रस्टी जिला संस्था के सदस्यों में से होंगे.

(भ) निर्धारित एवं प्रभावी कार्यालयी प्रबन्धन हेतु सभी प्रकार के आवश्यक कार्य करेंगे।

उपनियम–22–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रादेशिक मुख्यायुक्त एवं अन्य किसी कार्यकारी पद पर लगातार तीसरी बार निर्वाचन या मनोनयन के सम्बन्ध में–

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर अधिकतम दो कार्यकाल या सत्तर वर्ष की उम्र (इनमें से जो पहले हो) से ज्यादा की अवधि के लिये निर्वाचित या मनोनीत नहीं होगा।

(2) कोई भी सदस्य पैसठ वर्ष की आयु के पश्चात् न तो कोई पद ग्रहण कर सकेगा और न ही निर्वाचन में प्रत्याशी हो सकता है.

उपनियम–23– प्रादेशिक आयुक्त(स्काउट) और प्रादेशिक आयुक्त(गाइड)

1– प्रादेशिक आयुक्त(स्काउट) और प्रादेशिक आयुक्त(गाइड) की नियुक्ति प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक संस्था के सदस्यों में से करेंगे।

2– प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट एवं गाइड) का कार्यकाल, एक बार में पाँच वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त नियमानुसार प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट) और प्रादेशिक आयुक्त (गाइड) का अधिकार पत्र निर्गत करेंगे, जिसमें उनके कार्यकाल का उल्लेख होगा।

3– प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट) और प्रादेशिक आयुक्त (गाइड) अपने अपने संवर्ग के प्रधान के रूप में निम्नलिखित कार्य करेंगे–

क– सामान्य रूप में प्रादेशिक मुख्यायुक्त के कार्य निष्पादन में अपने–अपने विभाग के सम्बन्ध में उन्हें सहयोग एवं सहायता करना।

ख– सहायक प्रादेशिक आयुक्तों, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्तों, जिला आयुक्तों, सहायक जिला आयुक्तों, लीडर ट्रेनर, सहायक लीडर ट्रेनर की अपने–अपने विभाग में नियुक्ति हेतु प्रादेशिक मुख्यायुक्त को संस्तुति करना।

ग– स्काउट विभाग के समस्त मामले प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट) तथा गाइड विभाग के समस्त मामले प्रादेशिक आयुक्त (गाइड) के माध्यम से ही प्रादेशिक मुख्यायुक्त के सम्मुख भेजे जायेंगे।

घ– प्रादेशिक आयुक्त(स्काउट) स्काउट समिति तथा प्रादेशिक आयुक्त(गाइड) गाइड समिति के सभापति होंगे।

उपनियम–24–प्रादेशिक कोषाध्यक्ष–

1– प्रादेशिक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की संस्तुति पर प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा की जायेगी।

2– क– नवनिर्वाचित प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक में प्रादेशिक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु संस्तुति की जायेगी । नवनियुक्त प्रादेशिक कोषाध्यक्ष एक बार में पाँच वर्ष या प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल तक या अपने पश्चात्वर्ती के चुने जाने तक, जैसी स्थिति हो, पद पर कार्य करेंगे।

ख– प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव ला कर ही प्रादेशिक कोषाध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकेगा ।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

ग— प्रादे..क कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर नियम 2.(क) के अनुसार प्रादेशिक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी। प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति विधिवत प्रादेशिक कोषाध्यक्ष की संस्तुति अवशेष अवधि के लिए यथाशीघ्र करेंगी।

3— प्रादेशिक कोषाध्यक्ष का कार्य होगा कि वह संस्था के कोष तथा खाते का उचित रख–रखाव करें। वह प्रादेशिक परिषद, प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति तथा प्रादेशिक मुख्यायुक्त के प्रति नियमित व्यय, कोष तथा खाते के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे वह वार्षिक सम्परीक्षा तथा तुलन–पत्र तैयार करने के लिए प्रबन्ध करेंगे जो प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति और प्रादेशिक परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। वह समस्त प्रकार के धन प्राप्त करेंगे और उसे बैंक या बैंकों में जैसा कि प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति निर्धारित करें, निर्धारित खातों में रखेंगे एवं **नियमानुसार** संस्तुति पर धन का भुगतान करेंगे।

4— प्रादेशिक कोषाध्यक्ष का कार्यालय प्रादेशिक संस्था के किसी अन्य कार्यालय से सम्बद्ध नहीं होगा।

उपनियम–25— **प्रादेशिक सचिव, संयुक्त सचिव तथा सहायक प्रादेशिक सचिव**—

1—क— प्रादेशिक सचिव और संयुक्त प्रादेशिक सचिव अवैतनिक या वैतनिक जैसी स्थिति हो, जिनमें एक महिला होगी, प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त और प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के परामर्श से नियुक्त किए जायेंगे। यदि वैतनिक नियुक्त होंगे तो वह नियुक्ति सेवा नियमावली या नियुक्ति पत्र में उल्लिखित नियम व शर्तों के आधीन होगी। जब भी और जहाँ भी आवश्यकता होगी एक संयुक्त प्रादेशिक सचिव की नियुक्ति की जा सकेगी।

ख— सहायक प्रादेशिक सचिव वैतनिक और अवैतनिक जैसी स्थिति हो, यदि कोई हो, तो प्रादेशिक मुख्यायुक्त सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के परामर्श से, यदि वैतनिक है तो सेवा नियमावली या नियुक्ति–पत्र में निर्दिष्ट नियम व शर्तों के आधीन नियुक्त करेंगे।

ग— सभी प्रकार के अवैतनिक सचिव नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष के भीतर सचिव–कोर्स में प्रतिभाग करेंगे।

2— क— प्रादेशिक सचिव और संयुक्त प्रादेशिक सचिव, प्रादेशिक परिषद एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के क्रमशः सचिव व संयुक्त सचिव होंगे।

ख— प्रादेशिक सचिव यदि पुरुष है तो वह स्काउट समिति के सचिव होंगे और संयुक्त प्रादेशिक सचिव यदि महिला हैं तो वह गाइड समिति की सचिव होंगी। यही स्थिति विलोमतः भी लागू होगी, जैसी स्थिति हो, वह अपने–अपने विभाग के प्रत्येक सम्बद्ध कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

ग— प्रादेशिक सचिव, संयुक्त प्रादेशिक सचिव और सहायक प्रादेशिक सचिव यदि अवैतनिक है तो वह एक बार में पाँच वर्ष से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं होंगे जो प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल के अनुषंगी होंगे। तथापि अवैतनिक प्रादेशिक सचिव, संयुक्त प्रादेशिक सचिव और सहायक प्रादेशिक सचिव अपने पश्चात्वर्ती के आने तक पद पर रहेंगे।

3— प्रादेशिक सचिव प्रादेशिक संस्था के निर्धारित एवं प्रभावी प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा वह प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रादेशिक मुख्यायुक्त को सहयोग एवं योगदान देंगे।

4— प्रादेशिक सचिव सेवा नियमावली या नियुक्ति के समय निर्धारित नियम व शर्तों के अनुरूप कार्यालय के लिए वैतनिक सदस्यों की नियुक्ति प्रादेशिक मुख्यायुक्त के अनुमोदन के आधीन करेंगे।

5— प्रादेशिक सचिव प्रादेशिक संस्था के दैनिक प्रशासन तथा सचिवालयी (कार्यालयी) व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे।

6— **प्रादेशिक सचिव प्रादेशिक संस्था के समस्त अभिलेखों, पंजिकाओं को विधिवत सम्बंधित विभाग में अनुरक्षित रखायेगे। समस्त अभिलेख संस्था के अभिलेख होंगे। अनियमितता की स्थिति में सम्बंधित विभाग के** अधिकारी का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध **संस्था के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे।**

7— प्रादेशिक सचिव वार्षिक आख्या एवं वार्षिक जनगणना तैयार करेंगे।

8— प्रादेशिक सचिव और संयुक्त प्रादेशिक सचिव अपने–अपने विभाग के अन्तर्गत प्रादेशिक संस्था के समस्त पत्र–व्यवहार एवं अन्य कार्य जो प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा दिये जाते हैं, के लिए अधिकृत होंगे।

9— प्रादेशिक प्रधान केन्द्र से किया जाने वाला समस्त पत्र–व्यवहार सामान्यतः प्रादेशिक सचिव को सम्बोधित होगा परन्तु प्रशिक्षण तथा संगठन सम्बन्धी पत्र–व्यवहार सम्बन्धित विभाग के प्रादेशिक संगठन आयुक्त या प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त को सम्बोधित किया जायेगा।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

10—प्रादेशिक सचिव, प्रादेशिक परिषद तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों के बैठकों का ऐजेण्डा (कार्य विवरण) तैयार करेंगे तथा ऐसी बैठकों के संदर्भ में सूचना निर्गत करेंगे। प्रादेशिक सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त प्रादेशिक सचिव प्रादेशिक परिषद के लिए अध्यक्ष तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के लिए प्रादेशिक मुख्यायुक्त की पूर्वानुमति से ऐसी बैठकों के लिए सूचना निर्गत करेंगे।

प्रादेशिक सचिव का पद रिक्त रहने पर प्रादेशिक मुख्यायुक्त संयुक्त प्रादेशिक सचिव को प्रादेशिक सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करेंगे जो यह कार्य **उपनियम 25** के अनुसार विधिवत प्रादेशिक सचिव के नियुक्त होने तक करेंगे।

11— प्रादेशिक सचिव प्रशासन एवं उससे सम्बन्धित मामलों में सुझाव एवं सहयोग दे सकते हैं।

12— प्रादेशिक सचिव जब तक अन्यथा न निर्धारित हों, प्रादेशिक पत्रिका, पत्रक, सूचना—पत्रक जो प्रादेशिक संस्था से सम्बन्धित है, का प्रकाशन एवं सम्पादन करेंगे।

13— संयुक्त प्रादेशिक सचिव, प्रादेशिक सचिव के आधीन रहकर उनके कार्य निष्पादन में सहयोग करेंगे तथा अपने विभाग, जिससे वह सम्बन्धित हैं, के कार्यों के लिए विशिष्टतः उत्तरदायी होंगे।

उपनियम—26—सहायक प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट) और सहायक प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)—

1—प्रादेशिक मुख्यायुक्त, विशिष्ट उद्देश्यों एवं कारणों के लिए प्रत्येक विभाग में अधिकतम **आठ** सहायक प्रादेशिक आयुक्त स्काउट एवं **आठ** सहायक प्रादेशिक आयुक्त गाइड की नियुक्ति करेंगे,जिनका कार्यकाल एक बार में **पाँच** वर्ष से ज्यादा नहीं होगा।

2—सहायक प्रादेशिक आयुक्त स्काउट एवं सहायक प्रादेशिक आयुक्त गाइड अपने—अपने विभाग में कार्यों के निष्पादन में प्रादेशिक आयुक्त के आधीन रहकर सहयोग करेंगे।

उपनियम—27—प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट एवं प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड—

1— प्रादेशिक मुख्यायुक्त, सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के परामर्श से, स्काउट एवं गाइड विभाग के लिए अलग—अलग **एक—एक** प्रादेशिक संगठन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। **संबंधित प्रादेशिक संगठन आयुक्त को नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के अंदर स्काउट/गाइड का मैनेजमेण्ट कोर्स करना अनिवार्य होगा।**

2— **प्रादेशिक संगठन आयुक्तों के निम्न कार्य—**

क— प्रादेशिक स्तर पर आन्दोलन के संगठन के लिए अपने—अपने विभाग में उत्तरदायी होंगे।

ख— अपने—अपने विभाग में प्रादेशिक स्तर पर सेवा शिविरों का आयोजन करेंगे।

ग— प्रादेशिक स्तर पर रैली, कैम्प, शिविर, सम्मेलन, सेमिनार (संगोष्ठी) आयोजन करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग देना तथा अधिकृत स्काउट/गाइड साहित्य के सृजन, अनुवाद और प्रकाशन में सहयोग करना।

घ— सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्तों के कार्यों की योजना बनाना, निर्देश देना तथा पर्यवेक्षण करना तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं जिनकी नियुक्ति प्रदेश में की गयी है, के कार्यों की योजना, निर्देशन एवं पर्यवेक्षण, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रादेशिक प्राथमिकताओं के साथ करना।

ङ— प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त को अपने—अपने विभाग में स्काउटर, गाइडर प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग एवं समन्वय उपलब्ध कराना।

च— अपने—अपने विभाग के प्रादेशिक आयुक्तों के निर्देशन में विकास एवं संगठन के लिए कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की योजना बनाना, तैयारी करना तथा उन्हें क्रियान्वित करने के प्रति उत्तरदायी होना।

छ— सम्बन्धित सहायक प्रादेशिक आयुक्तों एवं जिला आयुक्तों को उनके कार्य के प्रतिपादन में जो उनके क्षेत्र में हो आन्दोलन के विकास, संगठन एवं पर्यवेक्षण के परिप्रेक्ष्य में सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना।

ज- अपने अपने विभाग के अभिलेख, पंजिकाओ को विधिवत अनुरक्षित रखेगे और अनियमितता की स्थिति में अभिलेखो के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

उपनियम–28–संयुक्त या सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट और गाइड–

प्रादेशिक मुख्यायुक्त, सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी के परामर्श से सेवा नियमावली के आधार पर संयुक्त या सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट और गाइड की नियुक्ति कर सकेंगे। संयुक्त या सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर संगठन प्रशिक्षण (ऑर्गेनाइजर्स ट्रेनिंग) शिविर में प्रतिभाग करेंगे।

संयुक्त या सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्तों का कार्य :-

1 प्रादेशिक सचिव के आधीन रहकर, सम्बंधित प्रादेशिक संगठन एवं प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त के निर्देशन में कार्य करना ।

2 जिला संस्थाओ की साधारण सभा एवं जिला कार्यकारिणी समिति बैठको का आयोजन करने हेतु आवश्यक निर्देश देना एवं बैठको का रिकॉर्ड रखना व प्रादेशिक मुख्यालय को सूचित करना।

3 मंडल स्थित समस्त विद्यालयों में दलो का पंजीकरण / नवीनीकरण करना एवं रिकॉर्ड रखना ।

4 बी.एड/बी.टी.सी. संस्थानों में समय से प्रशिक्षण करवाना व प्रादेशिक मुख्यालय में शिविर आख्या और शुल्क जमा करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत करवाना।

5 मंडल के समस्त अभिलेख व पंजिकाये तैयार करना एवं अनुरक्षित रखना।

6. वार्षिक कार्ययोजना का अनुपालन करना।

उपनियम–29– प्रादेशिक मुख्यालय आयुक्त

प्रादेशिक मुख्यायुक्त, स्काउट एवं गाइड विभाग में पृथक–पृथक अधिकतम चार–चार प्रादेशिक मुख्यालय आयुक्तों की नियुक्ति सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के परामर्श से निश्चित कार्यों के लिए करेंगे। जिनका कार्यकाल एक समय में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

उपनियम–30–प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट और प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त गाइड–

1– प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी के परामर्श से प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट और प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त गाइड की नियुक्ति वैतनिक या अवैतनिक की जायेगी। यदि नियुक्ति वैतनिक होगी तो सेवा नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत या नियुक्ति–पत्र में उल्लिखित शर्तों के अतर्गत होगी। प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त की वृत्तिक योग्यता लीडर ट्रेनर की होगी। यदि प्रदेश में कोई लीडर ट्रेनर उपलब्ध नहीं है तो वरिष्ठ सहायक लीडर ट्रेनर को प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा परन्तु उन्हें तुरन्त आगामी होने वाले लीडर ट्रेनर कोर्स में प्रशिक्षित होना होगा।

2– प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्तों का कार्य –

क–वयस्क नेतृत्व के प्रशिक्षण के लिए सम्बन्धित प्रादेशिक संगठन आयुक्त के समन्वय से प्रशिक्षण योजना के प्रावधानों के अनुरूप योजना बनाना, क्रियान्वित करना, पर्यवेक्षण करना तथा मूल्यांकन करना। बेसिक कोर्स के स्तर पर जिला प्रशिक्षण आयुक्तों को आवश्यकतानुसार प्राथमिक सहयोग हेतु स्वतंत्र करना।

ख– स्वयं को अद्यतन ज्ञान से परिपूर्ण रखना एवं दल के अन्य सहयोगियों को अद्यतन प्रशिक्षण हेतु अवसर उपलब्ध कराना।

ग– लीडर ट्रेनर तथा सहायक लीडर ट्रेनर को, जो प्रदेश में हैं, वयस्क नेतृत्व के प्रशिक्षण शिविरों के संचालन में राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रादेशिक प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शन उपलब्ध कराना एवं निर्देशित करना।

घ– प्रादेशिक प्रशिक्षण दल के सदस्य के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु प्रादेशिक आयुक्त को संस्तुत करना।

ङ– "प्रादेशिक प्रशिक्षण दल" के सदस्यों के परामर्श से प्रशिक्षण योजना में परिवर्तन हेतु उप निदेशक(लीडर ट्रेनिंग) को परामर्श देना।

च– वयस्क नेतृत्व के प्रशिक्षण से सम्बन्धित साहित्य का सृजन करना।

छ– वर्ष में कम से कम एक बार ट्रेनर्स मीट आयोजित करना।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

ज– योजना समिति के द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण शिविरों को संचालित करने के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना तथा शिविरों से सम्बन्धित अधिकार पत्र एवं वैधता प्रमाण–पत्र निर्गत करना।

झ– सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त के माध्यम से उन स्काउटर/गाइडर को हिमालय वुडबैज के पार्चमेंट एवं वीड्स/पिन के लिए उप निदेशक (लीडर ट्रेनिंग) को संस्तुति करना जो इसकी निर्धारित योग्यता पूरी कर चुके हैं।

ञ– सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्तों को उनके कार्य के लिए निर्देशन एवं सहयोग देना।

ट– वर्ष में एक बार जिला प्रशिक्षण आयुक्तों की बैठक बुलाना।

ठ– प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त प्रदेश में स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास एवं प्रबन्धन के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेदार होंगे।

ण - अपने अपने विभाग के अभिलेख, पंजिकाओं का विधिवत अनुरक्षित रखेंगे और अनियमितता की स्थिति में अभिलेखो के लिए उत्तरदायी होंगे।

उपनियम–31–सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट और गाइड–

प्रादेशिक मुख्यायुक्त, सम्बन्धित प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त की संस्तुति पर सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के परामर्श से सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट और गाइड की नियुक्ति कर सकेंगे। सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त, लीडर ट्रेनर की योग्यता के होंगे। यदि प्रदेश में कोई लीडर ट्रेनर उपलब्ध नहीं है तो सहायक लीडर ट्रेनर, सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त के रूप में नियुक्त होंगे परन्तु उन्हें तुरन्त आगामी होने वाले लीडर ट्रेनर कोर्स में प्रशिक्षित होना होगा। **सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त, प्रादेशिक सचिव के आधीन रहकर, सम्बंधित प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे ।**

उपनियम–32–प्रादेशिक योजना समिति–

प्रदेश में एक योजना समिति होगी जिसमें–

1– प्रादेशिक मुख्यायुक्त, प्रादेशिक आयुक्त स्काउट, प्रादेशिक आयुक्त गाइड, प्रादेशिक सचिव, प्रादेशिक संयुक्त सचिव, प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट, प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त गाइड, जिला योजना समितियों के समस्त सभापति एवं उनके नामांकित व्यक्ति सदस्य होंगे। प्रादेशिक मुख्यायुक्त योजना समिति के सभापति होंगे तथा प्रादेशिक सचिव समिति के संयोजक होंगे।

2– प्रादेशिक योजना समिति समस्त जिला योजना समितियों से प्राप्त योजनाओं को संकलित कर राष्ट्रीय योजना एवं प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की दीर्घ कालीन एवं अल्पकालीन योजना तैयार करेगी ।

3– प्रादेशिक योजना समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में नवम्बर के प्रथम सप्ताह में होगी जो अपनी प्रादेशिक योजना तैयार कर राष्ट्रीय मुख्यालय को दिसम्बर में होने वाली राष्ट्रीय योजना समिति की बैठक से पहले भेज देगी।

उपनियम–33–वित्त समिति–

1– वित्त समिति में प्रादेशिक मुख्यायुक्त, प्रादेशिक आयुक्त स्काउट, प्रादेशिक आयुक्त गाइड, प्रादेशिक कोषाध्यक्ष, प्रादेशिक सचिव, संयुक्त प्रादेशिक सचिव तथा उ0प्र0 शासन के दो आमंत्रित सदस्य जिसमें एक शिक्षा विभाग तथा एक वित विभाग से, जो उप सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे तथा चार सदस्य प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों में से, प्रादेशिक परिषद द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे । निर्वाचित सदस्यों में दो महिलायें होंगी। यदि कोई महिला उपलब्ध नहीं होती है तो वह पद पुरूष वर्ग से भरा जायेगा, यही स्थिति विलोमतः भी लागू होगी।

2– प्रादेशिक मुख्यायुक्त वित्त समिति के सभापति तथा प्रादेशिक कोषाध्यक्ष समिति के सचिव होंगे।

3– वित्त समिति के कार्य–

संस्था की आय बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार आय–व्यय बजट बनाना, वार्षिक लेखा विवरण तथा तुलना–पत्र तैयार करना एवं प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा संदर्भित अन्य वित्तीय मामलों में संस्तुति देना जो प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किये जाने हैं। स्काउट तथा गाइड विभाग के लिए उनके कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं क्रिया–कलापों के लिए पृथक–पृथक कोष का निर्धारण करना।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

उपनियम–3(प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति–

1– प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार होगी–

क–1– प्रादेशिक मुख्यायुक्त
2– प्रादेशिक आयुक्त स्काउट
3– प्रादेशिक आयुक्त गाइड
4– प्रादेशिक कोषाध्यक्ष
5– प्रादेशिक सचिव
~~6– संयुक्त प्रादेशिक सचिव~~
7– सहायक प्रादेशिक आयुक्त स्काउट
8– सहायक प्रादेशिक आयुक्त गाइड
9– प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट
10–प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड
11–प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट
12–प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त गाइड
13– प्रादेशिक मुख्यालय आयुक्त (स्काउट / गाइड)
14– क्षेत्रीय सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मुख्यालय (पदेन सदस्य)

ख–दो जिला मुख्यायुक्त प्रतिनिधि, दो जिला आयुक्त स्काउट प्रतिनिधि एवं दो जिला आयुक्त गाइड प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उन्ही की कोटि में से उन्ही के द्वारा हुआ हो।

ग– (1)– आजीवन सदस्यों का एक प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उन्ही के कोटि में से उन्ही के द्वारा हुआ हो।
(2)– साधारण सदस्यों का एक प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उन्ही की कोटि में से उन्ही के द्वारा हुआ हो।
(3)– संस्थागत सदस्यों का एक प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उन्ही की कोटि में से उन्ही के द्वारा हुआ हो।
(4)– लीडर ट्रेनर स्काउट का एक प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उन्ही की कोटि में से उन्ही के द्वारा हुआ हो।
(5)– लीडर ट्रेनर गाइड का एक प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उन्ही की कोटि में से उन्ही के द्वारा हुआ हो।
(6)– दो ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उन्ही की कोटि में से उन्ही के द्वारा हुआ हो।
(7)– दो ग्रुप गाइडर प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उन्ही की कोटि में से उन्ही के द्वारा हुआ हो।
(8)– प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा आमेलित दो सदस्य **जिसमें एक महिला होगी।**
(9)– तीस वर्ष से कम उम्र के दो युवा सदस्य जिसमें एक महिला होगी, प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों के परामर्श से आमेलित किये जायेंगे।

2– प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल–

प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल, प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल के अनुषंगी होगा। प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति का कोई पदेन सदस्य अपने मूल पद पर न रहने पर प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा। किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर भी प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति अपने कार्य को संपादित करने का अधिकार रखेगी।

3– प्रादेशिक मुख्यायुक्त, प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के सभापति तथा प्रादेशिक सचिव, प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के सचिव होंगे।

उपनियम–35–प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य–

(1)– क– समय–समय पर निर्धारित क्षेत्र एवं क्षेत्रों में जिला संस्था का गठन एवं पुनर्गठन करना।
ख– मण्डलीय संगठन एवं जिला संस्था को पंजीकृत कराना।
ग– प्रादेशिक संस्था के कोष एवं सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना एवं व्यवस्थित करना।
घ– बजट वार्षिक सम्प्रेक्षित लेखा विवरण, वार्षिक लेखा तुलन–पत्र एवं वार्षिक आख्या को प्रादेशिक परिषद के विचारार्थ संस्तुत करना।
ङ– निर्धारित होने पर प्रादेशिक कोषाध्यक्ष का निर्वाचन करना।
च– प्रादेशिक संस्था की उप नियमावली, प्रादेशिक परिषद एवं मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त की स्वीकृति हेतु, बनाना तथा उसमें परिवर्तन, निरसन, परिवर्धन तथा संयोजन करना।

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट और गाइड
उ0प्र0

छ— ( )— प्रादेशिक मुख्यायुक्त की संस्तुति पर सात न्यासियों की नियुक्ति करना जिसमें प्रादेशिक मुख्यायुक्त, प्रादेशिक आयुक्त स्काउट, प्रादेशिक आयुक्त गाइड पदेन सदस्य होंगे तथा चार अन्य सदस्य जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष से ज्यादा नहीं होगा, सम्मिलित होंगे।

नोट —यदि आजीवन सदस्य स्वयमेव नियुक्त है तो रिक्त होने पर इसी नियम के अन्तर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति की जायेगी।

(2)— प्रादेशिक संस्था की समस्त या आंशिक चल और अचल सम्पत्तियां इन न्यासियों में प्रादेशिक संस्था के न्यास के अन्तर्गत निहित होंगी।

(3)— मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति की दशा में न्यास में होने वाली नई नियुक्ति प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रादेशिक मुख्यायुक्त की संस्तुति से की जायेगी।

[illegible] करना।

झ— नियमावली में निर्दिष्ट नियमों के अनुरूप, अलंकरणों एवं पुरस्कारों की संस्तुति करना।

ट— मण्डलीय, जिला संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक संस्था को दिये जाने वाले वार्षिक पंजीकरण शुल्क तथा व्यक्तिगत पंजीकरण शुल्क का निर्धारण करना।

ठ— राष्ट्रीय परिषद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करना, यदि कोई हो।

ड— स्काउट समिति की नियुक्ति करना।

ढ— गाइड समिति की नियुक्ति करना।

त— किसी विशिष्ट उद्देश्य एवं अति आवश्यकता के आधार पर अन्य समितियों की नियुक्ति करना।

थ— प्रदेश से बाहर के या विदेशी व्यक्तियों के वैध परिचय—पत्र के साथ आने पर स्वागत एवं देखभाल हेतु यदि आवश्यक हो तो एक समन्वय अधिकारी जो स्काउट और गाइड विभाग के लिए अलग—अलग होगा, नियुक्त करना।

द— मण्डलीय, जिला संस्थाओं तथा ग्रुप संस्थाओं को निर्देशित करना, समन्वित करना तथा प्रादेशिक संस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों, नियमों एवं उपनियमों के अनुरूप कार्य करने हेतु सुनिश्चित करना/पर्यवेक्षण करना।

ध— प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत स्काउट/गाइड के संदर्भ में उद्देश्य, लक्ष्य एवं नीति विषयक मामलों को नियंत्रित करना। जिला संस्था तथा मण्डलीय संस्थाओं तथा समान लक्ष्य एवं उद्देश्यों के साथ कार्यरत अन्य संस्थाओं के मध्य समन्वय की स्थापना , प्रादेशिक प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु करना।

न— प्रादेशिक संस्था से सम्बन्धित समस्त मामलों से सम्बन्ध रखना।

प— व्यक्ति की सदस्यता निर्धारित करना।

(2)— किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक निश्चित समयावधि या निश्चित उद्देश्यों के लिए या निश्चित शर्तों के साथ प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति अपने अधिकार एवं कार्य प्रादेशिक संस्था के किसी भी अधिकारी या समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी एवं प्रत्याहरित कर सकेगी।

उपनियम—36—प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की बैठकें—

1—क— प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की बैठक सामान्यतया एक वर्ष में दो बार या प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा निश्चित करने पर कभी भी की जायेगी।

ख— प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रादेशिक मुख्यायुक्त की अनुपस्थिति में सेवा में वरिष्ठ प्रादेशिक आयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रादेशिक मुख्यायुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्तों की अनुपस्थिति में प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित कोई सदस्य, जिसे प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति चुनेगी, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

2—क— गणपूर्ति के लिए छः सदस्यों का होना , जिसमें तीन निर्वाचित होंगे, आवश्यक होगा।

ख— यदि बैठक का कोरम निर्धारित समय के 1/2 घण्टे के अंदर पूरा नहीं होता है तो अगली बैठक इस बैठक के स्थगित होने के दसवे दिन उसी एजेण्डा के साथ होगी और फिर इस बैठक मे कोरम की बाध्यता नहीं होगी।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

3– बैठक का समय, तिथि, स्थान एवं निर्धारित कार्य बिन्दु बैठक की तिथि से न्यूनतम दस दिन पहले भेज दिये जायेंगे। यह सूचना पंजीकृत डाक / ई–मेल से भेजी जायेगी और उस पर ई–मेल का वही पता लिखा जायेगा जो कि सदस्यों ने प्रादेशिक संस्था के रजिस्टर पर लिखा है या जिसकी सूचना प्रादेशिक सचिव को लिखित रूप से दी गई है। हार्ड कॉपी प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्यों को पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी. पंजीकृत डाक एवं ई–मेल से सूचना भेजने का अर्थ होगा कि सूचना सभी सदस्यों को प्राप्त हो चुकी है। इस आशय का ई–मेल प्रिन्ट सुरक्षित रखा जायेगा।

4– प्रादेशिक मुख्यायुक्त किसी परिस्थितिवश अति महत्वपूर्ण विषय का निर्णय प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति से पत्र–व्यवहार द्वारा करा सकेंगे । विषय का निर्धारण प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगा तथा उसको उसी रूप में प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में सूचित कर दिया जायेगा।

उपनियम–37–प्रादेशिक वयस्क संसाधन प्रबन्धन समिति–

प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा एक प्रदेश स्तरीय वयस्क संसाधन प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति निश्चित अंतराल पर प्रदेश में वयस्क संसाधन के संपूर्ण विकास एवं प्रबंधन के विषय पर प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति एवं प्रादेशिक परिषद को अपनी संस्तुतियां देगी। वयस्क संसाधन प्रबंधन समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे–

1. प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा नामित सभापति।
2. दो सहायक प्रादेशिक आयुक्त।
3. प्रादेशिक मुख्यालय आयुक्त कब, स्काउट, रोवर, बुलबुल, गाइड, रेंजर।
4. प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) एवं प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)।
5. प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा नामित एक अन्य सदस्य।

नोट–**वरिष्ठ प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त समिति के सचिव होंगे।**

उपनियम–38– प्रादेशिक स्काउट समिति–

1–प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा एक प्रादेशिक स्काउट समिति गठित की जायेगी जिसमें प्रादेशिक आयुक्त स्काउट, एक सहायक प्रादेशिक आयुक्त स्काउट, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट, प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट, दो जिला स्काउट कमिश्नर प्रतिनिधि, एक प्रादेशिक मुख्यालय आयुक्त स्काउट, एक ग्रुप स्काउटर सम्मिलित होंगे। यह सभी प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे और एक युवा वयस्क लीडर जिसकी आयु तीस वर्ष से कम हो, प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा प्रादेशिक आयुक्त स्काउट के परामर्श से इस समिति में नामित किया जायेगा।

2–प्रादेशिक आयुक्त स्काउट इस समिति के सभापति होंगे तथा प्रादेशिक सचिव या संयुक्त प्रादेशिक सचिव, जो भी पुरुष हो, इस समिति के सचिव होंगे।

3– प्रादेशिक आयुक्त गाइड एवं प्रादेशिक गाइड समिति के सचिव इस समिति के सदस्य होंगे.

4– प्रादेशिक स्काउट समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अन्य गतिविधियों एवं आयोजनों के संदर्भ में, जो स्काउट विभाग के होंगे, प्रादेशिक योजना समिति के लिए संस्तुतियाँ देगी।

5– प्रादेशिक स्काउट समिति, प्रादेशिक मुख्यायुक्त के पूर्ण अधिकार के अन्तर्गत स्काउट विभाग के लिए निर्धारित कोष से सम्बन्धित व्यय के लिए पूर्ण अधिकृत होगी।

उपनियम–39– प्रादेशिक गाइड समिति–

1–प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा एक प्रादेशिक गाइड समिति गठित की जायेगी, जिसमें प्रादेशिक आयुक्त गाइड, एक सहायक प्रादेशिक आयुक्त गाइड, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त गाइड , प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड, दो जिला गाइड कमिश्नर प्रतिनिधि, एक प्रादेशिक मुख्यालय आयुक्त गाइड, एक गाइडर प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। यह सभी प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे और एक युवा वयस्क लीडर जिसकी आयु तीस वर्ष से कम हो, प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा प्रादेशिक आयुक्त गाइड के परामर्श से इस समिति में नामित की जायेगी।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

2–प्रादेशिक [illegible]युक्त गाइड, गाइड समिति की अध्यक्षता करेंगी। प्रादेशिक सचिव या संयुक्त प्रादेशिक सचिव में जो महिला होगी, इस समिति की सचिव होगी।

3– प्रादेशिक आयुक्त स्काउट एवं प्रादेशिक स्काउट समिति के सचिव, इस समिति के सदस्य होंगे।

4– प्रादेशिक गाइड समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आयोजनों तथा गाइड विभाग की अन्य गतिविधियों के बारे में प्रादेशिक योजना समिति को संस्तुतियाँ देगी।

5– प्रादेशिक गाइड समिति, प्रादेशिक मुख्यायुक्त के पूर्ण अधिकार के अन्तर्गत गाइड विभाग के लिए निर्धारित कोष से सम्बन्धित व्यय के लिए पूर्ण अधिकृत होगी।

उपनियम 40 प्रादेशिक बैज कमेटी–

1– प्रादेशिक संस्था में एक बैज समिति स्काउट विभाग तथा एक बैज समिति गाइड विभाग के लिए प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित की जायेगी।

2– स्काउट विभाग के लिए प्रादेशिक बैज समिति में न्यूनतम पाँच सदस्य होंगे, जिसमें न्यूनतम दो एल0टी0 या ए0एल0टी0 प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट या सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट इस समिति के सदस्य होंगे। प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट इस बैज समिति में सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट) इस समिति की सभापति होंगे।

3– गाइड विभाग के लिए प्रादेशिक बैज समिति में न्यूनतम पाँच सदस्य होंगे जिसमें न्यूनतम दो एल0टी0 या ए0एल0टी0, प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड या सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त गाइड इस समिति के सदस्य होंगे। प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड इस बैज समिति में सचिव के रूप में कार्य करेंगी। प्रादेशिक आयुक्त (गाइड) इस समिति की सभापति होंगी।

4– प्रादेशिक बैज समिति सामान्यतया एक वर्ष में प्रत्येक तीन माह पर या आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें करेगी। यह बैठक बैज समिति के सचिव द्वारा बुलाई जायेगी।

5– <u>प्रादेशिक बैज समिति के निम्न कार्य एवं दायित्व होंगे–</u>

क– जिला बैज समिति के गठन एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
ख– जिला समिति के अनुक्रम में प्रादेशिक स्तर पर बैज परीक्षकों एवं बैज प्रशिक्षकों की सूची तैयार करना।
ग– जहाँ जिला संस्था कार्य करने में असमर्थ हो वहाँ प्रशिक्षण एवं परीक्षण का प्रबन्ध करना।
घ– राष्ट्रीय मुख्यालय से प्राप्त किये गये पदकों का वितरण जिला संस्थाओं को उनकी मांग पर करना।
ड़– अनाधिकृत रूप से पदकों की बिक्री की सूचना तत्काल प्रादेशिक मुख्यायुक्त के संज्ञान में लाना तथा जो कार्यवाही अपेक्षित हो, उसकी संस्तुति करना।

उपनियम–41 प्रादेशिक युवा समिति–

प्रादेशिक स्काउट और गाइड समिति, जिला युवा समिति के सदस्यों में से, प्रादेशिक युवा समिति के लिए सदस्यों को नामित करेगी, जिसमें न्यूनतम पाँच–पाँच सदस्य प्रत्येक शाखा (स्काउट विंग एवं गाइड विंग) से होंगे परन्तु अधिकतम बारह सदस्य होंगे, जिसमें समिति के सभापति एवं उपसभापति भी सम्मिलित होंगे।

1. प्रादेशिक युवा समिति के सभापति एवं उपसभापति, जिसमें एक युवा महिला होगी, को प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा नामित किया जायेगा।
2. प्रादेशिक युवा समिति का कार्यकाल प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल के अनुषंगी होगा।
3. प्रादेशिक युवा समिति प्रादेशिक स्तर पर "नई गतिविधियों" के आयोजन के लिए प्रादेशिक स्काउट/गाइड समिति को अपनी संस्तुतियां देगी।
4. प्रादेशिक युवा समिति के दो युवा सदस्यों, जिसमें से एक युवा महिला होगी, को प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति में आमेलित किया जायेगा।

नोट–युवा समिति के सदस्यों की आयु अठ्ठारह से तीस वर्ष के मध्य होगी।

उपनियम–42– धन

1– उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड एक सार्वजनिक संस्था है जो अपने प्रादेशिक मुख्यालय तथा उसके कर्मचारियों एवं संगठन कार्यों के व्यय की पूर्ति के लिए जन समर्थन तथा प्रदेश सरकार के अनुदान पर आधारित है।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

2– इस संस्था के धन के स्रोत, जनता से प्राप्त दान व अभिदान, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थानों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान हैं। इसके आय–व्यय का अपेक्षित विवरण, वार्षिक कार्य लेखा के साथ प्रकाशित किया जायेगा।

3– प्रत्येक पंजीकृत दलों से यह संस्था प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित वार्षिक पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क तथा अन्य शुल्क प्राप्त करेगी।

4– यह संस्था आन्दोलन के उद्देश्यों के उत्कर्ष के निमित्त प्राप्त तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत स्पष्ट प्रयोजन हेतु दिये गये दान तथा प्रन्यास को स्वीकार करेगी तथा उसका प्रबन्ध करेगी।

5– [illegible] प्रादेशिक संस्था में निहित हो जायेगी तथा उसका प्रबन्ध प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेंगे परन्तु प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा जिला संगठन को पुनः मान्यता दे दिये जाने पर प्रादेशिक मुख्यायुक्त उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध में किये गये व्यय को काटकर सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति उस जिला संस्था को वापस कर देंगे। सामान्यतः सभी जिला संस्थाओं की अचल सम्पत्ति अर्थात भूमि और भवन जो विधिवित् संस्था के नाम से निबन्धित होंगे, वह प्रादेशिक मुख्यालय में निहित होंगे।

6– इसी प्रकार प्रादेशिक संस्था से पंजीकृत जिला संस्थायें भी अपने व्यय के लिए जनता तथा स्थानीय निकाय, सार्वजनिक संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं के समर्थन तथा सासंद/विधायक निधि से प्राप्त अनुदान पर निर्भर होंगे।

उपनियम–43–**अभिदान**–

1– इस संस्था को दिये जाने वाले सभी अभिदान अग्रिम देय होंगे। ऐसे सदस्य जिन पर अभिदान की धनराशि अवशेष है, उन्हें न तो मतदान का अधिकार होगा, न ही वह किसी पद अथवा प्रादेशिक परिषद के लिए निर्वाचन योग्य होंगे।

2– यदि किसी सदस्य का वार्षिक अभिदान वर्ष आरम्भ (**एक अप्रैल** से **बारह माह**) से अधिक तक अवशेष रहता है तो पत्र द्वारा सूचना देकर प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के परामर्श से उनको संस्था के सदस्यों की सूची से पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार पृथक किए गए किसी भी सदस्य द्वारा अवशेष धन का भुगतान कर देने पर प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति उन्हें पुनः सूची में प्रविष्ट कर सकती है।

उपनियम–44–**बैठकों की सूचना**–

1– बैठकों की सूचना के पत्र विभिन्न सदस्यों तथा संस्थाओं को पंजीकृत डाक / ई–मेल पर भेजे जायेंगे। उस पर ई–मेल का वही पता लिखा जायेगा जो कि सदस्यों ने प्रादेशिक संस्था के रजिस्टर पर लिखा है या जिसकी सूचना प्रादेशिक सचिव को लिखित रूप से दी गई है। ई–मेल द्वारा सूचना भेजने के दिन ही सदस्यों को पत्र प्राप्त माने जायेंगे। ई–मेल प्रेषण का प्रिंट प्रादेशिक मुख्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।

2– प्रत्येक सदस्य तथा संस्था अपने पत्राचार के लिए **पत्र-व्यवहार एवं ई–मेल पते** की सूचना प्रादेशिक सचिव को देंगे, जो इसे इस प्रयोजनार्थ रखी गयी पंजिका में लिख लेंगे।

3– जो सदस्य या संस्था इस प्रकार अपने पत्राचार का पता पंजीकृत नहीं करा लेते है तो उनको बैठकों की सूचना का पत्र जिला सचिव के पते पर भेज दिया जायेगा और इसका अर्थ यह होगा कि सम्बन्धित सूचना उनको भेज दी गयी है।

4– किसी भी सदस्य को, जो बैठकों की सूचना पाने का अधिकारी हो, सूचना देने में आकस्मिक भूल या डाक विभाग के कारण सूचना प्राप्त न होने **की स्थिति में** अनुपस्थित रहने पर, किया गया कोई भी कार्य अवैधानिक नहीं होगा।

उपनियम–45–पत्र–व्यवहार–

1– स्काउट तथा गाइड से सम्बन्धित विषय पर कोई पत्र–व्यवहार भारत गणराज्य के राष्ट्रपति या राज्य के किसी विभाग या भारत या अन्यत्र स्थित दूतावास इत्यादि को प्रादेशिक मुख्यालय के माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा सम्बोधित नही किया जायेगा।

2– इस संस्था या जिला संस्थाओं के सदस्य तथा पदाधिकारी स्काउट और गाइड आन्दोलन से सम्बन्धित किसी नीति या सैद्धान्तिक विषय पर प्रादेशिक मुख्यालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना जनता या समाचार पत्रों में कोई मत व्यक्त नहीं करेंगे।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

3— जो विवाद की स्थिति में, जो कि जिला संस्था में या पदाधिकारियों के मध्य हो या सदस्यों के मध्य हो, प्रथमतः विवाद–बिन्दुओं को प्रादेशिक संस्था को संदर्भित किया जायेगा। इन नियमों का उल्लंघन, स्काउट तथा गाइड अनुशासन का जिसके वह आधीन है, अतिक्रमण माना जायेगा। तद्नुसार निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उपनियम–46–क्षेत्रीय या मण्डलीय संगठन–

उ0प्र0 राज्य के प्रत्येक राजस्व मण्डल में एक मण्डलीय संगठन होगा जो निम्नानुसार गठित एक समिति के माध्यम से कार्य करेगा–

1— संयुक्त शिक्षा निदेशक (पदेन)	अध्यक्ष
2— उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक) (पदेन)	उपाध्यक्ष
3— सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) (पदेन)	संयोजक
4- मंडललीय संगठन द्वारा चयनित	कोषाध्यक्ष
5— मण्डल के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यगण (पदेन)	सदस्य
6— मण्डल के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक (पदेन)	सदस्य
7— मण्डल के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (पदेन)	सदस्य
8— मण्डल के समस्त जिला मुख्यायुक्त	सदस्य
9— मण्डल के समस्त जिला आयुक्त स्काउट	सदस्य
10— मण्डल के समस्त जिला आयुक्त गाइड	सदस्य
11— मण्डल के प्रभारी सहायक प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट / गाइड)	पर्यवेक्षक सलाहकार
12— मण्डल के प्रभारी सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)	सदस्य सचिव
13- मण्डलीय संगठन आयुक्त (यदि हो तो)	सदस्य
14- मंडल क्षेत्र के समस्त जनपदों से एक-एक वरिष्ठ लीडर ट्रेनर एवं सहायक लीडर ट्रेनर (स्काउट/गाइड)	सदस्य

प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय संगठन का कार्यालय सामान्यतया संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में या उनके द्वारा मण्डलीय मुख्यालय पर निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर होगा। सामान्यतया मण्डलीय संगठन के अध्यक्ष के निर्देशन में मण्डल के प्रभारी सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट / गाइड मण्डल क्षेत्र में स्काउटिंग / गाइडिंग कार्यों के संगठन, पर्यवेक्षण एवं स्कीम आफ ट्रेनिंग के प्रावधान के अधीन वयस्क प्रशिक्षणों के क्रियान्वयन तथा ए0पी0आर0ओ0 II एवं III के प्रावधानों के अधीन कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के आयोजन के लिए कार्य करेंगे। मण्डल के प्रभारी सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट / गाइड, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उपशिक्षा निदेशक एवं सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के मध्य, समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए मण्डलीय समिति के सचिव होंगे। मंडल संगठन के समस्त सदस्यो द्वारा सामान्य बहुमत से कोषाध्यक्ष का चयन मंडल संगठन के सदस्यो में से किया जायेगा जो अधिकतम पांच वर्ष तक कार्य कर सकेंगे. मंडल कोष के खाते का सञ्चालन कोषाध्यक्ष एवं मंडल संगठन के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा.

उपनियम–47–जिला संस्थाओं की सम्बद्धता–

1— प्रत्येक जिला संस्था प्रादेशिक सचिव को प्रार्थना पत्र प्रेषित करके सम्बद्धता की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

2— प्रत्येक जिला संस्था ए0पी0आर0ओ0 विधान, उद्देश्य, नीति, नियम तथा संगठन की रूल्स पुस्तिका में निर्दिष्ट आदर्श नियम संख्या 73 से 98 के अनुकुल बनायी गयी उपनियमावली, जो प्रादेशिक संस्था द्वारा अनुमोदित की जायेगी, के अनुसार संचालित होगी।

3— जिला संस्थाएं, इस संस्था के नियम, विनियम तथा उपनियम एवं उद्देश्य, नीति, नियम तथा संगठन विधान (ए0पी0आर0ओ0) के समनुरूपण के लिए बाध्य होगी।

4— जिला संस्थाओं को प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।

5— किसी भी जिला संस्था के विलय या अक्रियात्मक होने की दशा में उनकी चल–अचल सम्पत्ति एवं सम्पदा स्वतः ही प्रादेशिक प्रधान केन्द्र में निहित मानी जायेगी।

6— प्रादेशिक मुख्यालय किसी समय, किसी जिला संस्था को, उपनियमों या निर्देशों के समनुरूपण की अवहेलना करने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्यारोपित कर असम्बद्ध कर सकेगा।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

उपनियम–48–त्याग पत्र या स्थान रिक्त होना

1–किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने की स्थिति में नियुक्तकर्ता या चयनकर्ता को ही अधिकार होगा कि त्यागपत्र स्वीकार करे । प्रादेशिक परिषद या प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित या नियुक्त व्यक्तियों के त्याग पत्र स्वीकार करने का अधिकार प्रादेशिक परिषद या प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति को होगा परन्तु असाधारण परिस्थिति में प्रादेशिक मुख्यायुक्त कार्य–निर्वहन के निमित्त त्याग पत्र स्वीकार कर सकते हैं और विशेष परिस्थिति में कार्य को संपन्न करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, जिसे वह औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रादेशिक परिषद [illegible]

2–प्रादेशिक परिषद या प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये तत्सम्बन्धित समितियाँ अपने अवशेष कार्यकाल के लिए तत्सम्बन्धी समूह में से निर्वाचन करेंगी।

उपनियम–49–परिवर्तन, संशोधन, निरसन या संयोजन–

इन उपनियमों,विनियमों को ए0पी0आर0ओ0 के अनुकूल परिवर्तन, संशोधन, निरसन या संयोजन,प्रादेशिक परिषद अपनी बैठक में उपस्थित मतदानी सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत निर्णय के फलस्वरूप कर सकती है जो मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के अनुमोदन के उपरान्त प्रभावी होगा।

उपनियम–50– <u>प्रादेशिक परिषद् हेतु साधारण अभिदानी, आजीवन एवं संस्थागत सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में</u>

1- **प्रादेशिक सचिव समस्त श्रेणी के सदस्यों की अंतिम सूची (पृथक् पृथक्) चुनावी बैठक से 70 दिन (दस सप्ताह) पूर्व तैयार कर लेंगे.**
2- प्रादेशिक सचिव इस प्रकार तैयार पूर्ण सूची को नामांकन पत्र, चुनाव निर्देश, चुनाव कार्यक्रम के साथ, सूची में अंकित प्रत्येक सम्बंधित कोटि के सदस्यों को भेज देंगे और प्रादेशिक परिषद् के प्रतिनिधि हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए कहेंगे.
3- प्रस्ताव पर उसी कोटि के प्रस्तावक और समर्थक के हस्ताक्षर होंगे. इस प्रकार नामांकन पत्र सूची भेजने के दो सप्ताह के भीतर प्रादेशिक सचिव के पास पहुच जाने चाहिए.
4- **प्रत्याशी की लिखित स्वीकृति, स्व प्रमाणित पहचान पत्र की छायाप्रति सहित, नामांकन पत्र जांच की तिथि व् समय से पूर्व प्रादेशिक सचिव के पास व्यक्तिगत रूप से स्वं, प्रतिनिधि या डाक के माध्यम से पंहुचा दी जानी अनिवार्य है । इसके अभाव में नामांकन पत्र अवैध माना जायेगा ।**
5- प्रादेशिक सचिव निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच करेंगे और वैध प्रत्याशियों के नामो की सूची संस्था के सूचना पट पर चस्पा करेंगे.
6- नाम वापसी की तिथि और समय के पश्चात प्रादेशिक सचिव निर्वाचन हेतु अंतिम प्रत्याशियों की सूची तैयार कर सूचना पट पर चस्पा कर देंगे ।
7- **यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो प्रादेशिक सचिव द्वारा चुनाव कार्यक्रम में निर्दिष्ट तिथि को नियमानुसार मण्डल स्तर पर चुनाव अधिकारी नियुक्त कर बैलट पेपर, बैलट बॉक्स आदि आवश्यक सामग्री एवं निर्देश दे कर चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे ।**
8- **समस्त श्रेणी के सदस्यों को मत डालने के समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है ।**
9- **प्रादेशिक सचिव/ रिटर्निंग ऑफिसर, प्रत्याशी अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की उपस्थिति में मतों की गणना कराएँगे तथा नियमानुसार निर्वाचित सदस्यों की घोषणा करते हुए निर्वाचित सदस्यों की सूची संस्था के सूचना पट पर चस्पा करेंगे ।**
10- प्रादेशिक परिषद् की बैठक के अवसर पर सम्बंधित कोटि के निर्वाचित सदस्य प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति हेतु अपना एक एक प्रतिनिधि स्वं चुनेंगे ।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

उपनियम–51 **प्रादेशिक परिषद के पदाधिकारियों/सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली**

1–प्रादेशिक परिषद द्वारा निम्नलिखित पदाधिकारियों का निर्वाचन होगा :-

(1)-प्रादेशिक अध्यक्ष

(2)-प्रादेशिक उपाध्यक्ष

(3)-प्रादेशिक मुख्यायुक्त

(4)-वित्त समिति हेतु चार सदस्य

2- (क) प्रादेशिक परिषद् के अवसर पर जिला मुख्यायुक्त, जिला आयुक्त स्काउट, जिला आयुक्त गाइड, ग्रुप स्काउटर, ग्रुप गाइडर , लीडर ट्रेनर स्काउट, लीडर ट्रेनर गाइड कोटि के सदस्य नियमानुसार प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति हेतु, अपनी–अपनी कोटि में प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे।

(ख) प्रादेशिक परिषद् हेतु निर्वाचित आजीवन सदस्य, साधारण अभिदानी सदस्य एवं संस्थागत सदस्यों के प्रतिनिधि नियमानुसार प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति हेतु, अपनी–अपनी कोटि में प्रतिनिधि का चयन करेंगे।

3- उपर्युक्त सभी पदों और प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रादेशिक परिषद् की इस उद्वेश्य से बुलाई गयी परिषद् की विशेष बैठक में नियम तथा उपनियमो के अनुसार होगा।

4- प्रादेशिक सचिव, चुनावी प्रादेशिक परिषद की बैठक की सूचना परिषद के सदस्यों की नवीनतम सूची के साथ बैठक की तिथि से चालीस दिन पूर्व भेज देंगे। यह सूचना रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाएगी एवं उस पर वही पता लिखा जायेगा जो कि सदस्यों ने प्रादेशिक संस्था के रजिस्टर पर लिखा है या जिसकी सूचना प्रादेशिक सचिव को लिखित रूप से दी गई है। रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजने का अर्थ होगा कि सूचना सभी सदस्यों को प्राप्त हो चुकीहै। इस सूचना में बैठक का समय, तिथि एवं स्थान भेजा जायेगा, जिसमें निर्वाचन का विशेष संदर्भ होगा। इस सूचना में इन पदों के लिए नामांकन–पत्र भेजने की अन्तिम तिथि, नामांकन पत्रों के जाँच की तिथि, निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि (यदि मतदान की आवश्यकता हो), का उल्लेख होगा।

5–नियमानुसार वही व्यक्ति प्रादेशिक अध्यक्ष, प्रादेशिक उपाध्यक्ष, प्रादेशिक मुख्यायुक्त या अन्य कोटि के पदों पर निर्वाचित किये जायेंगे जो इन निर्दिष्ट पदों पर निर्वाचित किये जाने की योग्यता व अर्हता रखते हों।

6–प्रत्याशी के नाम के प्रस्तावक तथा समर्थक को प्रादेशिक परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। पदों जैसे जिला मुख्यायुक्त प्रतिनिधि, जिला कमिश्नर प्रतिनिधि, स्काउटर प्रतिनिधि, गाइडर प्रतिनिधि, आजीवन सदस्य प्रतिनिधि, साधारण सदस्य प्रतिनिधि, संस्थागत सदस्य प्रतिनिधि, लीडर ट्रेनर स्काउट/गाइड प्रतिनिधि कोटि के प्रत्याशियों के प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कोटि के प्रादेशिक परिषद के सदस्य होंगे।

7–निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र, {परिशिष्ट में संलग्न नामांकन–पत्र प्रारूप } जिस पर प्रादेशिक सचिव/रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर होंगे, को पूर्णरूपेण भर कर अधिसूचना में निर्धारित तिथि तक व्यक्तिगत रूप से स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से रिटर्निंग आफिसर को प्राप्त कराना होगा।

8–नामांकन–पत्र पर उपरोक्त के अनुसार प्रस्तावक और समर्थक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है. प्रत्याशी की लिखित स्वीकृति, **स्व प्रमाणित पहचान पत्र की छायाप्रति सहित,** नामांकन–पत्र की जाँच की तिथि तथा समय के पूर्व, प्रादेशिक सचिव के पास व्यक्तिगत रूप से स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से पहुँचा दी जानी अनिवार्य है। इसके अभाव में नामांकन–पत्र अवैध माना जायेगा। एक व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए प्रत्याशी हो सकता है, परन्तु निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की तिथि तक उसे केवल एक पद पर ही प्रत्याशी रहने का निर्णय लेना होगा। अन्य पदों के लिए उनके नाम को वापस लेने का अधिकार उनको स्वयं या उनके प्रस्तावक या समर्थक को होगा, जो लिखित रूप में इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रादेशिक सचिव को देंगे।

9–एक सदस्य अधिक से अधिक उतने ही नामांकन पत्रों का प्रस्तावक या समर्थक हो सकता है जितने पद निर्वाचन के लिए रिक्त है।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

10—नामांकन—पत्र परिषद की बैठक की तिथि से बीस दिन पूर्व प्रादेशिक सचिव जो इस निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर होंगे, के पास पहुँच जाने चाहिए।

11—**नामांकन पत्र अवैध होगा और निरस्त माना जायेगा यदि:—**

क—वह नियत प्रारूप पर नहीं होगा।

ख—वह नियत तिथि एवं समय तक रिटर्निंग आफिसर/प्रादेशिक सचिव को प्राप्त नहीं होगा।

ग—उस पर प्रस्तावक व समर्थक के हस्ताक्षर नहीं होंगे।

घ—उस पर ऐसे प्रत्याशी का नाम होगा जो उक्त पद के लिए प्रत्याशी होने के लिए नियमानुसार योग्यता नहीं रखता।

ड़—उस पर ऐसे प्रस्तावक और समर्थक के हस्ताक्षर होंगे जो प्रस्तावक और समर्थक होने की योग्यता नहीं रखते या उन्होंने पद की संख्या से अधिक पर प्रस्ताव एवं समर्थन दिया हो।

च—पद पर निर्वाचन हेतु प्रत्याशी की लिखित स्वीकृति का घोषणा—पत्र, **स्व प्रमाणित पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ** नियत तिथि एवं समय पर प्रादेशिक सचिव/रिटर्निंग आफिसर को प्राप्त नहीं होगा।

छ- नामांकन पत्र इ-मेल अथवा फैक्स से प्राप्त होगा।

12—प्रादेशिक सचिव, जो रिटर्निंग आफिसर होंगे, उन नामांकन—पत्रों की जाँच अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि को करेंगे तथा जाँचोंपरान्त वैध या अवैध पाये गये नामांकन पत्रों की घोषणा उसी तिथि को कर देंगे।

13—प्रादेशिक सचिव वैध रूप से नामांकित प्रत्याशियों की सूची बनायेंगे और प्रादेशिक मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर देंगे।

14—यदि कोई प्रत्याशी अपना नाम निर्वाचन से वापस लेना चाहता है, तो वह इस आशय की लिखित सूचना अपने हस्ताक्षर करके व्यक्तिगत रूप से स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से, नाम वापस लेने की नियत तिथि और समय से पूर्व प्रादेशिक सचिव/रिटर्निंग आफिसर को प्राप्त करायेंगे।

15—नामांकन वापस लेने की नियत तिथि और समय बीत जाने के पश्चात् प्रादेशिक सचिव निर्वाचन में खड़े प्रत्याशियों की सूची तैयार करेंगे और उसे प्रादेशिक मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे।

16—(क) यदि किसी पद के लिए उतने ही प्रत्याशी हों, जितने वह पद रिक्त हों अर्थात् बराबर हों तो उन पदों पर मतदान नहीं होगा। परन्तु निर्वाचित होने की घोषणा प्रादेशिक परिषद की मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अन्य परिणामों के साथ की जायेगी।

(ख) इसी प्रकार यदि वैध नामाकिंत प्रत्याशियों की संख्या रिक्त स्थानों से कम हो तो प्रादेशिक सचिव द्वारा अवशेष पदों के लिये पृथक से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचना निर्गत की जायेगी और अवशेष पदों पर नियमानुसार चुनाव संपन्न होने के बाद इन निर्वाचित सदस्यों की घोषणा की जाएगी.

17- यदि वैध रूप से नामांकित प्रत्याशियों की संख्या उस पद के रिक्त स्थानों से अधिक हो तो निर्वाचन के लिए प्रादेशिक परिषद् की बैठक में मतदान होगा. मतदान बैलेट—पद्धति से होगा।

18—प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। जहाँ एक से अधिक पद रिक्त होंगे, वहाँ पर सदस्य को उतने मत देने का अधिकार होगा, जितने कि पद रिक्त होगे परन्तु कोई सदस्य एक प्रत्याशी को एक से अधिक मत नहीं देगा। प्रॉक्सी विधि से मत नहीं दिया जायेगा। **मतदान के समय सदस्य को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है**

19—मत—पत्र प्रादेशिक सचिव/रिटर्निंग आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

20—मत—पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होगा जिसमें प्रत्याशियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर हिंदी में लिखे जायेंगे।

प्रादेशिक सचिव
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

21–रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए समय नियत करेंगे और सदस्यों को मत–पत्र देंगे। जिन सदस्यों को मत–पत्र निर्गत किया जायेगा, उनके नाम वह इस उद्देश्य से रखी गयी पंजिका में अंकित करेंगे। सदस्य जिनको मत–पत्र मिल जायेगा, वह उस मेज के पास जायेंगे जहाँ मतदान पत्र पेटिका एवं एक मुहर जिस पर स्काउट/गाइड एम्बुलम/स्वस्तिक का चिन्ह बना होगा, रखी होगी । वह मुहर से मत–पत्र पर उस प्रत्याशी के नाम के सामने निशान लगायेंगे, जिनके पक्ष में वह मत देना पसन्द करते हैं। वह मत–पत्र को निर्धारित तरीके से मोड़कर मत–पत्र पेटिका में डाल देंगे। इस प्रकार सम्पादित होने वाली मतदान–प्रक्रिया में प्रत्याशी स्वयं या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि मतदान बूथ पर उपस्थित रह सकेंगे।

22–मतदान के लिए नियत समय समाप्त हो जाने पर रिटर्निंग आफिसर उन मत–पत्रों को एकत्र कर मतगणना के लिए, जितने गणकों की आवश्यकता होगी, उन्हे नियुक्त करेंगे, परन्तु कोई प्रत्याशी गणक नहीं होगा। मतगणना के समय प्रत्याशी स्वयं या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

23–जो प्रत्याशी सर्वाधिक मत प्राप्त करेंगे, वह उस पद पर निर्वाचित घोषित होंगे। यदि निर्वाचन एक से अधिक रिक्त स्थानों के लिए है तो क्रमवार जो अधिकाधिक मत प्राप्त करेंगे, वह निर्वाचित घोषित किये जायेंगे।

24–यदि एक पद के लिए प्रत्याशियों को प्राप्त मत बराबर हो तो लॉटरी डालकर निर्णय किया जायेगा।

25–मत–पत्र अवैध माना जायेगा यदि–

क–वह नियत फार्म पर नहीं है और उस पर रिटर्निंग आफिसर का अधिकृत हस्ताक्षर नहीं है।

ख–उस पर मतदाता का नाम या हस्ताक्षर या कोई भी ऐसा निशान है जिससे मतदाता की पहचान स्पष्ट हो।

ग–उस मत–पत्र पर एक से अधिक प्रत्याशियों के सामने मुहर का निशान लगा हुआ हो, जहाँ केवल एक ही व्यक्ति निर्वाचित होना है या किसी पद की जितनी रिक्तियाँ हैं, उनसे अधिक स्थान पर, मुहर का निशान लगा हुआ हो।

घ–यह स्पष्ट न हो कि मत किस प्रत्याशी के पक्ष में डाला गया है।

उपनियम–53

1. निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक की देख रेख में संपन्न होगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान की स्थिति में पर्यवेक्षक की संस्तुति के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर नीचे उद्धरित अधिकार का उपयोग कर सकेंगे.
2. निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर मतदाताओं या प्रत्याशियों को अन्यथा प्रभावित करने या निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान डाले जाने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पहले किसी भी समय पर्यवेक्षक के परामर्श से चुनाव निरस्त कर सकेंगे और पुनः निर्वाचन हेतु नये सिरे से कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेंगे। ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन सम्बन्धी पूर्व निर्धारित उपनियमों के प्रावधानों में आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय मुख्यालय की सहमति से परिवर्तन किया जा सकेगा।

उपनियम–54 उपनियामावली में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर भारत स्काउट एवं गाइड की नियमावली (English) को माना जायेगा अन्यथा राष्ट्रीय मुख्यालय का निर्णय ही सर्वमान्य होगा ।

उपनियम–55 यह नियमावली राष्ट्रीय मुख्यालय से अनुमोदित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी ।

संलग्नकः–

1–प्रारूप–1	आजीवन/साधारण सदस्यता हेतु आवेदन पत्र
2–प्रारूप–2	संस्थागत सदस्यता हेतु आवेदन पत्र
3–प्रारूप–3	नामांकन हेतु आवेदन पत्र
4–प्रारूप–4	मतदान हेतु मत पत्र

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

Chief National Commissioner

प्रारूप

उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड

आजीवन / साधारण सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

मैं ...., पिता / पति / अभिभावक ....

पता ....

ई–मेल ...., मोबाइल / फोन नं0 ....

साधारण सदस्यता / आजीवन सदस्यता हेतु निर्धारित शुल्क रू0 .... का भुगतान

चेक / ड्राफ्ट संख्या .... तिथि .... बैंक .... द्वारा

कर रहा हूँ /कर रही हूँ।

अनुरोध है कि प्रदेश संस्था मे मेरी सदस्यता स्वीकार करने की कृपा की जाय। मेरा अन्य विवरण निम्नवत है:–

1. शैक्षिक योग्यता ....
2. स्काउटिंग / गाइडिंग की योग्यता ....
3. व्यवसाय ....
4. जन्म तिथि ....
5. आवेदक द्वारा स्काउटिंग / गाइडिंग के क्षेत्र मे किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण

   ....

   ....

दिनांक ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

हम संस्तुति करते हैं कि उपरोक्त आवेदक को प्रदेश संस्था में साधारण सदस्य/आजीवन सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाय।

1– हस्ताक्षर तिथि सहित	1– हस्ताक्षर तिथि सहित ....
2– सदस्य का नाम	2– सदस्य का नाम ....
3– सदस्यता की कोटि	3– सदस्यता की कोटि ....

नोट:– उपरोक्त आवेदन पत्र, प्रादेशिक परिषद् के सम्बंधित जिला संस्था के दो सदस्यों द्वारा संस्तुत किया जायेगा जैसे जिला मुख्यायुक्त, जिला कमिश्नर स्काउट / गाइड एवं ग्रुप स्काउटर / ग्रुप गाइडर प्रतिनिधि आदि।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

प्रारूप

उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड

संस्थागत सदस्यता हेतु आवेदन–पत्र

सेवा में,

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड
प्रादेशिक मुख्यालय, लखनऊ।

श्रीमान मेरी संस्था, जिसका पूरा विवरण नीचे दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट/गाइड संस्था में संस्थागत सदस्य के रूप में सम्मिलित होना चाहती है। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है:–

1–संस्था का नाम ....
2–पत्राचार का पता ....
3–ई–मेल ....
4–मोबाइल नं0./फोन नं0 ....
3–संस्था का प्रकार (शैक्षिक/व्यवसायिक/सांस्कृतिक/अन्य) ....
4–संस्था की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा अन्य विधान के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या..................
5–संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पद नाम एवं पता ....
6–संस्था द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख (प्रमाण सहित)..
....

एतद् द्वारा इस बात की घोषणा की जाती हैं कि.. ....संस्था एवं उसके उपरोक्त नामित प्रतिनिधि उ0प्र0 भारत स्काउट/गाइड संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्यो में आस्था रखेंगे।

....
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम सहित

....संस्था द्वारा संस्थागत सदस्यता हेतु रूपये.............................. का भुगतान चेक/ड्राफ्ट संख्या...........................बैंक...से किया जा रहा है।

संस्था प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम सहित

हम संस्तुत करते है कि उपरोक्त संस्था को प्रदेश संस्था में संस्थागत सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाय।

1– हस्ताक्षर तिथि सहित................................	1– हस्ताक्षर तिथि सहित................................
2– सदस्य का नाम................................	2– सदस्य का नाम................................
3– सदस्यता की कोटि................................	3– सदस्यता की कोटि................................

नोट:– उपरोक्त आवेदन पत्र, प्रादेशिक परिषद् के सम्बंधित जिला संस्था के दो सदस्यों द्वारा संस्तुत किया जायेगा जैसे जिला मुख्यायुक्त, जिला कमिश्नर स्काउट / गाइड एवं ग्रुप स्काउटर / ग्रुप गाइडर प्रतिनिधि आदि।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

प्रारूप

उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड

नामांकन पत्र

पद जिनका निर्वाचन होना है

1–प्रादेशिकअध्यक्ष

2–प्रादेशिक मुख्यायुक्त

3 प्रादेशिकउपाध्यक्ष - (अधिकतम छः जिसमें तीन महिला होंगी)

4-सदस्य वित्त समिति (चार)

प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति हेतु प्रतिनिधि : -

i- जिला मुख्यायुक्तो के प्रतिनिधि - दो

ii-जिला कमिश्नर्स (स्काउट) के प्रतिनिधि - दो

iii- जिला कमिश्नर्स (गाइड) के प्रतिनिधि - दो

iv- ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि - दो

v- ग्रुप गाइडर प्रतिनिधि - दो

vi- लीडर ट्रेनर्स प्रतिनिधि- एक

vii- लीडर ट्रेनर्स प्रतिनिधि- एक

viii- साधारण अभिदानी प्रति०- एक

ix- आजीवन सदस्य प्रति०- एक

x- संस्थागत सदस्य प्रति०- एक

नोट : जिस पद के लिए नाम प्रस्तावित किया जा रहा है,उसमे ( ) का निशान लगायें और वही पदनाम नामांकन पत्र में लिखें। यदि ऐसा न किया गया तो नामांकन अवैध हो जाएगा।

सेवा में,

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड
प्रादेशिक मुख्यालय, लखनऊ

प्रिय महोदय,

प्रादेशिक परिषद/प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के निम्न पद के लिए यह नामांकन–पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पद के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का आवश्यक व्यक्तिगत विवरण, उनके नाम के प्रस्तावक तथा समर्थक के व्यक्तिगत विवरण (हस्ताक्षर सहित) का उल्लेख निम्नवत् हैः–

1–प्रत्याशी का नाम..

2–आयु..

3–पता..

4–व्यवसाय..

5–संस्था में सदस्यता की कोटि..

6–पद का नाम जिसके लिये नामांकन किया जा रहा है..

नियमानुसार इस पद के लिए उनकी अर्हता का विवरण/क्या संस्था के किसी प्रकार के सदस्य हैं? ....

प्रस्तावक का नाम..

पता..

सदस्यता की श्रेणी.................................. सदस्यता कमांक ....

(अर्थात स्काउटर/गाइडर/अन्य सदस्य स्काउट/अन्य सदस्य गाइड)

हस्ताक्षर..

समर्थक का नाम..

पता..

सदस्यता की श्रेणी..................................सदस्यता कमांक ....

(अर्थात स्काउटर/गाइडर/अन्य सदस्य स्काउट/अन्य सदस्य गाइड)

हस्ताक्षर..

प्रादेशिक स्तर पर पूर्तियां

नामांकन पत्र प्रदेश संस्था के प्रधान कार्यालय मे प्राप्त होने की तिथि..............................समय..............................

नामांकित व्यक्ति की लिखित स्वीकृति **स्वं हस्ताक्षरित पहचान पत्र की छाया प्रति सहित** प्राप्त होने की तिथि ....समय.............................

नामांकन पत्र जॉच का परिणाम (वैध/अवैध पाया गया)

क्यों ....

दिनांक ....

....

ह0 प्रादेशिक सचिव/रिटर्निंग ऑफिसर

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

स्वीकृति–पत्र

मैं ...., पिता / पति / अभिभावक ....

.... पता ....

....

.................., प्रादेशिक परिषद / प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति हेतु ....

.... पद पर निर्वाचन के लिए अपनी प्रत्याशिता की सहर्ष स्वीकृति

देता/ देती हूँ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर ....

प्रादेशिक स्तर पर पूर्तियां

स्वीकृति–पत्र प्रादेशिक मुख्यालय में प्राप्त होने की तिथि ....

समय ....

ह0 ....

प्रादेशिक सचिव / रिटर्निंग आफिसर

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

मत—पत्र

प्रारूप

क्रम सं0	प्रत्याशी का नाम (अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में)	जो प्रत्याशी चुनना है उसके सामने उपलब्ध मुहर का निशान लगाये।

प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड